हम होंगे कामयाब

राजेंद्र सिंह
अरुण तिवारी

नदी संरक्षण सत्याग्रह २००८ के संकल्प एवम् व्यवहार का दस्तावेज
राष्ट्रीय जल बिरादरी, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवम् वितरित २८.०७.०८

इतिहास गवाह है
कि जिस देश, संस्कृति और सभ्यता ने
अपनी अष्मिता के प्रतीकों को याद नहीं
रखा ...वह देश, संस्कृति और सभ्यताएं
मिट गईं। क्या भारत इतने बड़े आघात
के लिए तैयार है ?

नदी संरक्षण सत्याग्रह

सम्मेलन 2008

28 जुलाई 2008

स्थान– बाल भवन परिसर, कोटला मार्ग, नई दिल्ली

प्रथम सत्र समय– 10 से 1 बजे तक

नीर–नदी–नारी पंचायत

दितीय सत्र समय – 2 बजे से 5 तक

नदी संरक्षण सत्याग्रह 2008 की उपलब्धियों और चुनौतियों की प्रस्तुति।

29 जुलाई 2008

स्थान– बाल भवन परिसर, कोटला मार्ग, नई दिल्ली

प्रथम सत्र 9 बजे से 1 बजे तक

नदी संरक्षण हेतु राज–समाज संवाद

दितीय सत्र समय – 2 बजे से 5 तक

समाज–सरकार–संत–नदी समागम

30 जुलाई

स्थान– यमुना सत्याग्रह स्थल, एन.एच. 24

अक्षरधाम के पीछे, दिल्ली

प्रथम सत्र समय– 9 बजे से 1 बजे तक

यमुना सत्याग्रह वार्षिकोत्सव

दूसरा सत्र समय– 2 बजे से 5 बजे तक

नदी संरक्षण सत्याग्रह की भावी कार्ययोजना

निवेदक–जलबिरादरी एवं तरुण भारत संघ

34/46 किरण पथ मानसरोवर जयपुर–302020

फोन न. 0141–2393178, मो. 09351210774

जागो कि सवेरा हुआ है

मेरा बचपन गंगा-यमुना के दोआब में अठखेलियां करते बीता। मैने अपनी जवानी अलवर के गावों के साथ मिलकर 'जल संरक्षण से स्वावलम्बन' के कुछ जमीनी व रचनात्मक काम करते हुए गुजारी। इस बीच मैंने अलवर के समाज को एक नहीं, पांच-पांच नदियों को पुनर्जीवित करते देखा; लेकिन इस पूरे दौर में मेरे मन में यह कभी नहीं आया कि कभी भारत में भी नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए सत्याग्रह करने की नौबत आयेगी। ....खासकर ऐसी नदियों को, जिन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा कहा जाता है; जिनके बिना भारतीय समाज में मुंडन, छेदन, तर्पण नहीं होता। मृत्यु से एक क्षण पूर्व जिसके जल की दो बूंद मुंह में चली जाए, यह इच्छा सभी को होती है। मृत्यु के बाद भी वैतरणी पार किए बिना जिस समाज में श्राद्ध कर्म पूरा न होता हो, ऐसा समाज भला नदियों को कैसे मरने दे सकता है ?

मैं हमेशा यही मानता था कि इतनी दृढ़ आस्था, पुण्य और जुड़ाव वाले समाज की नदियां कभी अपवित्र नहीं होंगी। कम से कम भारत में तो नदियों के साथ समाज का जुड़ाव व अपनापन गंगा जल की भांति पवित्र व अक्षुण्ण बना रहेगा। कभी छोटी-मोटी गलतियां हुई, तो समाज बैठकर उन्हें ठीक कर लेगा; जैसा कि हमारी अरवरी नदी के समाज ने किया ।

जब सरकार ने अरवरी नदी पर मछली का ठेका दिया, ठेकेदारों ने नदी में जहर घोलकर हजारों-लाखों मछलियों की हत्या की; अरवरी के समाज को लगा कि यह तो जैसे उसकी अपनी ही मौत हो गई; लेकिन वह शोक में हाथ पर हाथ धर कर चुप नहीं बैठा। उसने नदी की पहरेदारी की ...सत्याग्रह किया। नदी व नदी जीव रक्षण के लिए ७० गावों का संगठन- अरवरी संसद बनी... नदी की पहली संसद। जनसुनवाई हुई। अंततः सरकार को ठेका रद्द करना पड़ा; फिर किसी ने अरवरी नदी पर समाज की हकदारी को चुनौती देने की जुर्रत नहीं की।

मैं यह सोचकर आज भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी नदी व समाज का हिस्सा बन सका। ... लेकिन मैं इस अकेले गौरव की बिना पर आंखें नहीं मूंद सकता। २३ दिसम्बर, २००२ से शुरु हुई राष्ट्रीय जलयात्रा में देखे राष्ट्रीय नदी परिदृश्य ने मेरी आंखे खोल दी कि हा! ये हमने क्या किया? गांधी जी की साबरमती रोती हुई मिली, आन्ध्र प्रदेश की मूसी, उ. प्र. की हिण्डन, दिल्ली की यमुना.... सब 'आई. सी. यू.' में मिली। बिहार की कोसी-गंड़क अपने तटबंधों से परेषान है, तो बंगाल अपने प्रदूषण से। ओफ्फ! अपने समाज व सरकार की दुर्दशा कहां तक गिनाऊं। नदी समाज से अलग नहीं हैं। जहां जैसा समाज व सरकार होती हैं, वहां की नदी भी वैसी ही हो जाती है।

१६ महीने चली इस यात्रा में मैं भारत के २६ राज्यों की ३०० जिलों में गया। करीब १४४ छोटी-बड़ी नदियों से मिला, लेकिन हा! हतभागी एक भी नदी तो ऐसी नहीं मिली, जिसके बारे में मैं गर्व कर सकूं कि फला समाज या फला सरकार ने अपनी फला

प्रमुख नदी को षोषण, प्रदूषण, अतिक्रमण व मार्ग बाधा से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।

जहां गया, वहां कहीं जल विद्युत के नाम पर नदियां बिकती-लुटती मिली, तो कहीं बेपरवाह उद्योग नदी और लोगों की सेहत में जहर घोलते दिखे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हाथ पर हाथ धरे बैठा मिला, तो रीयल इस्टेट नदियों के सीने पर सवार होने को आतुर। नदियों के भू-उपयोग बदलने की मनमानी और नदी तटबंध के भीतर एक और तटबन्ध बनाकर नदी को नाला बनाने की साजिश भी कईं जगह दिखी। यमुना पर अक्षरधाम नामक मन्दिर के लिए बना तटबंध ऐसा ही है।

खेलगांव काम्पलेक्स परियोजना, नरोरा से बलिया तक गंगा के सीने पर एकसप्रेस वे और आर्थिक जोन आदि परियोजनाएं तो बाद में अस्तित्व में आए, लेकिन इनके संकेत राजग सरकार ने अपनी जलनीति में पहले ही दे दिए थे। इसीलिए तब जल बिरादरी ने भारत भर में जलयात्रा का निर्णय लिया था।

मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तो तब हुआ, जब मैंने पाया कि हमारी नदियां अपने मूल में ही नष्ट हो रहीं हैं। अकेले उत्तराखण्ड में ही नदियों को ४०० परियोजनाओं में बांधने की तैयारी है।... और तो और जिसके बारे में दुनिया कहती है कि ऐसी नदी कोई और नही; जिसका जल अक्षुण्ण है... ऐसी गंगा को ही मारने की तैयारी दिखी । उदासीनता और कायरता की पराकाष्ठा है कि समाज चुप बैठा है। ...साधु सन्तों का वह समाज भी, जिन्हें कभी समाज ने नदी किनारे मठ-मन्दिर बनाकर नदी की पवित्रता

कायम रखने की पहरेदारी सौंपी थी। वह भूल गया कि नदी मर गई, तो आस्था नहीं बचेगी और न बचेंगे आस्था के तीर्थ, मन्दिर, मठ और कुंभ-महाकुंभ। ....तब मठाधीशों का क्या होगा?

'मैं उस देश का वासी हूं, जिस देश में गंगा बहती है।'
कोई कुछ भी कहे, मैं इसी गौरव के साथ मरना चाहता हूं। मैं इस अभाव के साथ मरना नहीं चाहता कि मेरे मृत्यु स्थान के नजदीक की नदी का जल मेरे मृत शरीर को स्नान कराने योग्य भी न हो।

क्या आप भी? यदि हां! तो हम सभी को एकजुट होना चाहिए। क्या कुछ समय के लिए हम सभी अपने झंडे-बैनरों को भूल कर सिर्फ नदियों को याद नहीं रख सकते?

कालांतर में जल बिरादरी की बैठकों में भारत की नदियों के बिगड़ते परिदृश्य का प्रश्न बार-बार उठा। सभी के मन में इस बिगाड़ के प्रति कहीं न कहीं संवेदना थी, अतः हम सभी ने अपने-अपने स्तर पर छोटी-छोटी शुरूआत का फैसला किया।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंडन जल बिरादरी के हिंडन प्रदूषण मुक्ति अभियान से यह विश्वास बढ़ा कि जहां समाज जाग जाए, वहां नदी के प्रवाह में खलल टिक नहीं सकता। जब राजस्थान सरकार ने कई नदियों के किनारे शराब फैक्टरियां लगाने के लाइसेन्स जारी किए, तो जल बिरादरी का साथी संगठन-तरुण भारत संघ आगे आया। लाइसेन्स को अदालत में चुनौती मिलते ही सरकार पीछे चली गई। नए लाइसेन्सों पर रोक लगी। इधर यमुना के सीने पर दिल्ली में खेल गांव काम्पलेक्स और मेट्रो

जंक्शन की तैयारी देख दिल्ली के किसान संगठन... जल बिरादरी लामबंद हो एक अगस्त २००७ से नदी किनारे यमुना सत्याग्रह पर बैठ गए। अदालत, कैबिनेट ...सब जगह दरवाजा खटखटाया। नतीजा भी आया।

ऐसे छोटे-छोटे प्रयास जल बिरादरी व अन्य संगठनों के साथियों ने देश में कहीं-कहीं शुरू किए, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ इससे बात बनने वाली नहीं हैं। इन प्रयासों में समग्रता और एकजुटता का भाव आए बगैर सरकार व समाज में त्वरित जागृति आने वाली नहीं है।

हम यदि कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम सच कहने की हिम्मत तो करें।

इसीलिए जल बिरादरी ने 'नदी संरक्षण सत्याग्रह २००८' के रूप में एक यज्ञ आहूत किया है। जनवरी २००८ से अब तक बांड़-लूणी (राजस्थान), सरयू (उत्तराखण्ड़), तपस्यविनी, सोनभद्र, गोमती, सईं (उ. प्र.), दामोदर धाटी (झाारखण्ड), गार्वी (महाराष्ट्र) अडियार-कूवम (तमिलनाडु) और अरकावती-वैधवती (कर्नाटक), पर संरक्षण सत्याग्रह की अलख जगाने का काम कई निष्ठावान साथियों ने शुरू किया हैं। श्री रामधीरज की अगुवाई में उत्तर प्रदेश जल बिरादरी के सात सदस्यीय दल ने ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 'गंगा एकसप्रेस वे अध्ययन यात्रा की। प्रस्तावित एकसप्रेस वे के दुष्परिणामों को जानकर नदी किनारे अलख जगाने का काम किया। मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। गंगा जनादेश भी जारी किया।

सुखद है कि समाज बेझिझक अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने आगे आ रहा है। इस प्रवृति को बढ़ाना हैं। जो इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चुके, हमें उस समाज को सम्मानित करना है... आभार प्रकट करना है। समाज को अपना गौरव याद दिलाना है। सरकारों को चेताना है कि औद्योगिक प्रदूषण की अनदेखी और उर्जा के लिए अकेले जल विद्युत पर जोर देने से काम चलने वाला नहीं : विकास के भिन्न व्यावहारिक पहलू... और वैकल्पिक ऊर्जा के भिन्न स्त्रोतों पर बराबर ध्यान देने से ही तस्वीर बदलेगी।

सब नदियों पर संकट है।
सारे गांव इक्ट्ठा हों।।

सत्याग्रह नदी संरक्षण २००८

यूं आगे बढ़ी दास्तान

नदी संरक्षण एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि कोई भी नदी एक मायने में छोटी नहीं होती; लेकिन जल बिरादरी के साथियों ने छोटी-छोटी कोशिशों से शुरूआत की। गत वर्ष अप्रैल २००७ में गांधी स्मृति एवम् दर्शन समिति के साझे से जल बिरादरी ने जल सत्याग्रह का निश्चय किया। उसे ही वर्ष २००८ के लिए नदी संरक्षण सत्याग्रह का रूप दिया ।

वर्ष २००८ के नए संकल्प और नई दिशा में काम करने के लिए जल बिरादरी के पास अनुभवों की जो थोड़ी-बहुत पूंजी थी, वह मुख्य चार घटनाक्रम थे :

पहला - अरवरी नदी पर मछली के ठेके को रद्द कराने में तरुण भारत संघ व अरवरी संसद का संघर्ष।

दूसरा - जलयात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ जल बिरादरी की पहल पर रेडियस नामक कंपनी को दिए शिवनाथ नदी के पट्टे को रद्द कराने का अनुभव ।

तीसरा - उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित हिंडन की सहायक नदी कृष्णी के प्रदूषकों के खिलाफ इकाईयों को नोटिस।

चौथा - दिल्ली में यमुना नदी भूमि पर व्यावसायिक निर्माण के विरोध में दिल्ली के किसान व जल बिरादरी का यमुना सत्याग्रह।

इनमें सबसे व्यापक और अलग अनुभव यमुना सत्याग्रह का था। उक्त चार अनुभवों की पूंजी के साथ जल बिरादरी ने एक जनवरी, २००८ से ३१ मार्च तक व्यापक रूप से देशभर में नदी

बचाओ यात्रा-सत्याग्रह-कार्यक्रमों में शिरकत व पहल शुरू की। जलबिरादरी के साथियों ने २० मार्च को जलाधिकार दिवस और गंगा दशहरा को 'नदी दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सरकारों के साथ भी विचार मंथन शुरू किया।

उत्तराखण्ड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेष, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अच्छे निर्णय हुए... अच्छी पहल हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार गोमती-सईं नदी को लेकर थोड़ी चेती जरूर; लेकिन इस जागृति को टिकाऊ बनाने की कोशिशों को और ताकत देने की जरूरत है। जल बिरादरी ने तय किया कि एक अप्रैल से सरकारों पर दबाव डालने का काम शुरू किया जाए, ताकि वे नदी संरक्षण नीति बनाकर नदियों को संरक्षित करने के काम को अपनी प्राथमिकता बनाएं।

सरकार में भी कही-कही अच्छे लोग होते हैं। उन्हें ताकत देने का काम जन समुदाय व संस्थाओं को करना चाहिए। प्रो. जी. डी. अग्रवाल भी कभी सरकारी तंत्र का हिस्सा रहे हैं, लेकिन बसंत पंचमी को उन्होंने ही बड़ी पहल की। उन्होंने घोषणा की कि गंगोत्री से उत्तरकाशी के बीच भागीरथी के प्रवाह को बाधा मुक्त करने की मांग नहीं मानी गई, तो वे आमरण अनशन करेंगे। अनशन हुआ। अंततः राज्य सरकार ने भैरु घाटी फेज १ व फेज १८ पाला मनेरी परियोजना रद्द करने की मंशा जाहिर की। इसकी बिना पर प्रो. अग्रवाल ने अपना अनशन स्थल बदल कर दिल्ली किया। ३० जून को भारत सरकार ने इस अनशन का सम्मान करते हुए भागीरथी में नैसर्गिक प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन की घोषणा की। समिति तीन महीने में अपने

सुझाव सरकार के सामने रखेगी। यह एक बड़ा काम हुआ कि अब हमारी सरकारों ने सुनने की आदत डाल ली है।
एक दिलचस्प अनुभव यह हुआ कि जब हमने मांगपत्र तैयार करते वक्त नदी के 'पारिस्थितिकीय प्रवाह' के मानक तय कर उनकी पालना सुनिश्चित करने का प्रश्न उठाया, तो पता चला कि यह विषय अभी भारतीय शिक्षा संस्थानों में इस रूप में पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए अभी सरकार देश को किसी एक भी नदी के पारिस्थितिकीय प्रवाह सुनिश्चित करने की दिशा में नहीं सोच सकी हैं। इस दिशा में जल बिरादरी के साथी पहल कर रहे हैं। शीघ्र ही पाठ्यक्रम तैयार कर गंगा के प्रति आस्था रखने वाले किसी विष्वविद्यालय में इससे सम्बन्धित शिक्षण शुरू हो जायेगा; ऐसी उम्मीद हैं।

जल बिरादरी मानती है कि नदियों के साथ यदि सबसे गहरा रिश्ता किसी इन्सान का है, तो वे हैं भारत की नारियां और हमारे साधु-सन्त-मौलवी और फकीर। इन्हें इनके रिश्ते व नदी को पुनः सदानीरा-पवित्र बनाने में संभावित भूमिका की तलाश करनी चाहिए। जल बिरादरी इस एहसास को जगाने में लगी हैं।

इस बीच देश की कई नदियों में छोटी-बड़ी पहल शुरू कराने में जल बिरादरी सफल रही। जिनकी विस्तृत चर्चा अगले पन्नों में दर्ज हैं। नतीजे भी आए हैं। यदि इन नतीजों से सीख कर आगे बढ़ना हैं, तो जरूरी है कि नदी संरक्षण कोई एक अभियान न होकर हमारी आदत का एक हिस्सा बन जाए। जो जहां है, वहीं रह कर नदी संरक्षण के अपने संस्कार को पुनर्जीवित करें। यूं इसके लिए किसी झंडे बैनर की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भारत में नदियों को शोषित, प्रदूषित व बाधित करने वाला

माफिया काफी एकजुट दिखाई देता है। अतः जरूरी है कि संकट में साझे का मानस बने। नदी-सन्त-समाज-स्वयंसेवी संगठन-सरकार... सब एक हों। यह तभी सम्भव है कि जब आपस में संवाद बने, आपसी अविश्वास दूर हो, समझ बनें। इसी प्रयास में जलबिरादरी जुटी है।... आप भी जुटें, पहल करें। अकेले या दुकेले की चिन्ता न करें। एक दिन काफिला भी बन जाएगा और मंजिल भी मिल जायेगी।

२० मार्च : जलाधिकार दिवस

गंगा दशहरा : नदी दिवस

गंगा

गंगा की स्मृतिछाया में सिर्फ लहलाते खेत, माल से लदे जहाज ही नहीं, बल्कि वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध-महावीर के विहार, अशोक, अकबर व हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास, कबीर और गुरूनानक की गुरूवाणी सब एक साथ जीवंत हो उठते हैं। जाहिर है कि गंगा... किसी एक जाति धर्म या वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे भारत की अस्मिता और गौरव की पहचान है। गंगा की मृत्यु का मतलब भारत की अस्मिता और गौरव का मिट जाना है।

गंगा राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हो

वरमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीणः।
अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः।।

''गंगा की मछली, कछुआ और इसके किनारे गरीब बनकर रहना मेरी इच्छा है। मुझे गंगा से दूर रहकर तो राजा बनना भी मंजूर नहीं है।''- आदिगुरू शंकराचार्य

गंगा के प्रति एक महापुरुष की यह आस्था प्रतीक है कि गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। ये हिमालय की देवभूमि से लेकर गंगासागर तक आस्था और विश्वास की एक ऐसी धारा है, जिसके बारे में ये सोचना भी सम्भव नहीं है, कि गंगा कभी मर भी सकती है। गंगा के साथ लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार जुड़े है। गंगा महज् एक जलधारा न होकर, पूरी दुनिया में भारत की अस्मिता की पहचान है। बरसों से आयोजित कुंभ-महाकुंभ हर बरस इस अस्मिता की याद दिला देते है। जहां गंगा नहीं है, वहां लाखों कावड़ियों के कंधे पर सवार होकर हर बरस गंगा पहुंचती है और शिवलिंग पर अर्पित होकर सत्यम् शिवम् सुन्दरम् के अपने जयघोष को उच्चारित करना नहीं भूलती। ऐसी गंगा के मिटने की कल्पना-मात्र से हमें डर लगता है। इतिहास बताता है कि जिस देश, संस्कृति और सभ्यता ने अपनी अस्मिता के प्रतीकों को याद नहीं रखा, वह देश, संस्कृति और सभ्यतायें मिट गई।
क्या भारत इतने बड़े आघात के लिए तैयार है ? यदि नहीं, तो हम सभी को मिलकर देश की सत्ता से मांग करनी चाहिए कि वह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, जीव और पुष्प की तरह एक प्रतीक

के रूप गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित व संरक्षित करें। इससे कम पर गंगा के प्रति सरकारी व समाजिक प्रतिबद्धता की उम्मीद अब दिखाई नहीं देती। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गंगा को मान्यता मिलने के बाद सम्भव है कि सरकार और समाज अपना नजरिया बदलें और गंगा... गंगा बनी रह सके। गंगा संरक्षण को लेकर यही एक सतत् व सक्षम व्यवस्था बन सकती है, वरना तो पूर्व के अनुभव यही है कि बदलती सरकारों-अफसरों के साथ-साथ नीति और नीयत दोनों बदल जाती है।

जरा याद करें कि भागीरथी को बचाने हेतु प.मदनमोहन मालवीय जी ने १९१३ में एक आन्दोलन शुरू किया था। अंग्रेजी हुकूमत ने समाज और उसकी आस्था का सम्मान करते हुए १९१४ में एक समझौता किया था।

इसे पढकर आज भी आपको लगेगा कि इसकी पालना तो गंगा की धारा को अविरल बनाकर संरक्षित रखने के लिए सहायक है। लेकिन क्या हुआ ? सरकारें बदली और ये समझौता भी किसी फाइल का पन्ना बनकर रह गया। अब सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकता गंगा नहीं है। दोनों ही कायदा भूल गये है; सिर्फ फायदा ही इनकी प्राथमिकता बन गया है।

दुःखद है कि जिन खूबियों के कारण हम गंगा को मां, पतितपावनी और मोक्षदायिनी कहते है। ये खूबियां खो रही है। भिन्न शहरों-फैक्ट्रियों के कचरे के कुठाराघात ने गंगा के अमरत्व पर तो संकट पहले ही खड़ा कर दिया था, अब प्रवाह की अविरलता पर भी बाधा उत्पन्न की जा रही है। गंगा पर अतिक्रमण को लेकर भी किसी को परहेज नहीं है। उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने जिस गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा के सीने पर बनाने की मंजूरी दी है; वह एक तरह से गंगा को तटबंध के भीतर कैद

गंगा संरक्षण समझौता - १९१४

१. आपूर्ति धारा क्र. १ के लिए निकास द्वार जैसा कि इस समय है, ठीक वैसा ही रहने दिया जायेगा। अनुभवों के आध ाार पर यदि यह खतरनाक होता है, तब यह आवश्यक हो सकता है कि वर्तमान निकास द्वार की चौड़ाई को छोटा किया जाये, जिससे कि पानी के तल को कम होने से रोका जाये। किन्तु इसके अलावा कोई भी कदम हिन्दू समुदाय के पूर्व परामर्श के बिना नहीं उठाया जायेगा। सिंचाई विभाग की यह जिम्मेदारी रहेगी कि हरिद्वार के घाटों पर स्नानार्थियों के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति करें। धारा क्र. ०१ के मुक्त प्रवाह के निकास को कम कर देने से तलहटी में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी आदि वर्तमान में जमा होगी। जिसको सैल्यूज (फाटक) द्वारा ही कम किया जा सकता है। यह बात ध्यान में रहेगी ही कि यदि वार्षिक सफाई टाली जाती है, तो पानी की कमी हो जायेगी, जैसा कि इस समय है।

२. बान्धों में एक मुक्त द्वार छोड़ा जायेगा, जिससे स्नानार्थियों को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा और इसे कभी भी बन्द नहीं किया जायेगा। अभियन्ता गण गणना करके यह सुनिश्चित करेंगे कि स्नानार्थियों को वर्ष के सभी मौसम में निरन्तर अविच्छिन्न (निर्बाध) जल प्राप्त होता रहे।

३. नई आपूर्ति धारा में पक्की दीवार नहीं बनायी जायेगी। लालजी वाला द्वीप पर होते हुए एक प्राकृतिक कटाव रहेगा। यह आशा नहीं की जाती कि आपूर्ति धारा क्र.१ की लाइनिंग को बढ़ाया जाये। ध्यान में रखा जायेगा कि हरिद्वार के घाटों को जल की आपूर्ति करने वाली धारा न तो नहर के नाम से पुकारी जायेगी और न ही वह नहर जैसी दिखलाई ही देगी।

करने की नापाक कोशिश ही है। समझ में नहीं आता कि सब हमारी नदियों के पीछे क्यों पड़े है और स्वयं को गंगा की संतान कहने वाली आबादी चुप क्यों बैठी है ?

गंगा में प्रदूषण निवारण को लेकर जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने गंगा कार्ययोजना का शुभारम्भ किया था; उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की थी कि यह कार्ययोजना लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना न होकर जन-जन की कार्ययोजना बनेगी, लेकिन कार्ययोजना के कर्णधारों ने ऐसा होने नहीं दिया। नतीजा? कार्ययोजना का बजट और गंगा में प्रदूषण दोनों बराबर अनुपात में बढते गये।

आज सोचनीय प्रश्न यह है कि ज्यो-ज्यों गंगा का अविरल प्रवाह बाधित होगा, भिन्न कारणों से नदी धारा संकुचित होगी। प्रदूषण और उसके प्रकोप अधिक खतरनाक चेहरा प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखण्ड की सरकार अपनी जिन नदियों के बूते ऊर्जा प्रदेश बनने का गौरव हासिल करना चाहती है; उसमें भागीरथी और अलकनंदा की धारायें भी है। समझ में नहीं आता कि हमारी सरकारें हमारी आस्था और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीकों को कब तक व्यापार और लाभ की वस्तु की निगाह से देखती रहेगी।
गांधी का ये देश क्यों भूल जाता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारा जीवन चलाने के लिए है, न कि हमारा लालच पूरा करने के लिए। आज स्थिति यह है कि लोग अपनी आस्था के बहाव में नदी किनारें के तीर्थो पर आते है; माघ मेले में संगम पर जुटते है; अन्तिम संस्कार में धारा के पास शवदाह करते है; लेकिन गंगा जैसी नदी प्रवाह के नीचे के हिस्से में स्नान या आचमन की

हिम्मत नहीं कर पाते। आंख मूंद कर किसी प्रकार संस्कार की औपचारिकता निभा लेते है। इस भयानक सच को देखकर भी हम इस गफलत में कब तक आखें मूंद सकते है कि गंगा अमर है, यह दूसरों को अमरत्व प्रदान करती है। ऐसी गंगा कभी नहीं मर सकती ? गंगा की इस दुर्दशा से गंगा के प्रति आस्था के सवाल उठ रहें है। विज्ञान जिस के पास गंगा जल के अमरत्व का जवाब नहीं था, वह भी अब गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। आगे चलकर के ये सवाल और उठेंगे, मुझे समझ में नहीं आता कि गंगा को लेकर किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति या वर्ग की कोई खाई नहीं है। गंगा को सब मां मानते है। नेता, अफसर, भ्रष्ट और सज्जन सभी इसके आगे माथा टेकते है। गंगा का नाम आते ही सबके मन में एक श्रद्धा भाव जगता है, लेकिन किसी के मन में यह संकल्प क्यूं नहीं आता कि यदि गंगा ही नहीं रहेगी, तो माघ का मेला कहां लगेगा और आप माथा कहां टेकेंगे?
अतः आज जरूरी हो गया है कि इन सभी के जमीर को झकझोरा जाये। नेता, उद्योगपति, नगरपालिकाएं... जो कोई भी गंगा की हत्या के दोषी है, उन्हें कठघरे में खड़ा किया जाए। दरअसल मैले की मैली राजनीति ने गंगा को और मैला बना दिया है। राजनीतिज्ञों की शुद्धि हुए बगैर गंगा की शुद्धि मुश्किल दिखाई देती है। अब राजनीतिज्ञों की शुद्धि कौन करें ?

गांधी का ये देश क्यों भूल जाता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारा जीवन चलाने के लिए है, न कि हमारा लालच पूरा करने के लिए।

भागीरथी नदी सचमुच ऐतिहासिक है तो इसलिए कि मनुष्य के जीवन की सुरक्षा के लिए यह हिमालय की हिम पहाड़ियों के अमरत्व गुण को लेकर मैदान में लंबे अरसे से प्रवाहमान रही है। समुद्र से मिलने के मार्ग में भागीरथी ने अपने किनारे एक ऐसी संस्कृति विकसित की, जिसके सहारे भारत सदियों तक ज्ञान का पुरोधा बना रह सका। इसलिए यह मां है।

गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का परिचय भारत की जनता ने कब और कैसे प्राप्त किया, यह कहना तो कठिन है; मगर सब जानते है कि गंगाजल अपनी पवित्रता को कायम रखने में सक्षम है। इस बात की सच्चाई की परीक्षा भारतवासियों ने ले ली है। गंगा जल के स्पर्श की चाहत ने ही तीर्थ स्थानों को जन्म दिया। तीर्थ स्थान निसर्ग के जितना नजदीक होता है, वहां पहुंचने की महत्ता उतनी ही अधिक होती है। कारण कि वहां पर पहुंचना स्वयं एक मानसिक व शारीरिक तपस्या है। तीर्थयात्रा के समय सांसारिक व्याधियों से अलगाव का मानस तपस्या की पवित्रता बढ़ाता है। इसीलिए ईश्वर की खोज में लोग भागीरथी के किनारे पहुंचते थे। यह तपस्या मानव सृष्टि का एक अंग है। इस सृष्टि की समझ ही आध्यत्मिकता है। यही जीवन का मूल आधार है, इसे हासिल करने की साधना का परिणाम ही आनंद है। आज आनंद की खोज सभी को है, मगर इसके लिए आवश्यक तपस्या की चेतना सभी में नहीं है। इसी कारण लोग आजकल भागीरथी के जल को निर्जीव साधन मानकर इसके दोहन की तकनीकी खोज में लगे हुए हैं। इसी से भागीरथी बेहाल है।

जो हाल भागीरथी गंगा का है, वही हाल अन्य नदियों का भी है। हम भूल गए है कि जल कहीं भी हो, जल संसाधनों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार तो सब जगह आवश्यक है। इसी व्यवहार के मद्देनजर प्रो. जी.डी. अग्रवाल ने गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी का अविरल

प्रवाह सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होनें इस मांग को अपनी आस्था से उठा संकल्प बताया। समझ सकते हैं कि यदि एक नदी का जल एक वैज्ञानिक के लिए विज्ञान का प्रश्न न होकर... आस्था का प्रश्न बना है, तो क्यों ?

इसलिए कि भारत में नदियां सिर्फ एक जलप्रवाह नहीं है, ये भारत की संस्कृति व सभ्यता का जीवनप्रवाह है।

खासकर गंगा सभी धर्म और समाज की धरोहर है। गंगा रक्षा के लिए समय-समय पर समाज, राज एवं संतों ने मिलकर काम किया है। इसके परिणामस्वरूप ही यह भारत के किसानों, मछुआरों, पुजारियों, पण्डों, ब्राह्मणों... सभी की जीवन रेखा बनी रही है। गंगा ने भारत की एकता, अखण्डता और संस्कृति को बनाकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज इस पर गहरा संकट है। स्थिति यह है कि गंगा की धारा पर हो रहे अतिक्रमण, प्रदूषण और भूजल के शोषण ने गंगा के प्रवाह को समाप्त कर दिया है। हम चाहते है कि गंगा नैसर्गिक रूप में पवित्र और शुद्ध-सदानीरा बहती रहें।

गंगा को एक राष्ट्रीय नदी के प्रतीक रूप में घोषित किया जाये। जिस तरह से हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते है, उसी प्रकार गंगा को सम्मान एवं संरक्षण प्रदान की जाये।

गंगा की पवित्रता और अवरिल प्रवाह को बनाए रखने हेतु जरूरी है कि विकास के नाम पर इस पर हो रहे विनाश कार्य को रोका जाए। कम से कम गंगा के मूल में तो किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाये। कारण यह एक अनगढ़ क्षेत्र है ; ठोस नहीं है। उत्तराखण्ड में गंगा की जो धाराएं है, उनका ढलान तेज है, धारा गति तीव्र है। प्रवाह में सत् भी है और सातत्य भी। गंगा यहां बाल्य व किशोरीव्स्था में है। ऐसी स्थिति में नदियों से छेड़छाड़ करना उनकी हत्या जैसा ही है। हम

इन हत्यारे कृत्यों को कब तक चुपचाप देखते रहेंगे ?

उत्तराखण्ड़ में हिमपोषित नदियों के प्रवाह की तीव्रता के आधार पर राज्य की आमदनी बढ़ाने तथा दूसरे राज्यों की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सारी नदियों पर १०,००० मेगावाट बिजली बनाने के लिए बांध, बैराज और सुरंग बनाई जा रही हैं, जबकि असलियत २००८ में उत्तराखण्ड राज्य की बिजली की अपनी कुल खपत ७३७ मेगावाट है। यदि दूसरे राज्यों को दी जाने वाली बिजली को जोड़कर देखा जाये, तो ऊर्जा की कुल आपूर्ति १५०० मेगावाट बनती है। वर्ष २०२२ तक इस राज्य की ऊर्जा की कुल आपूर्ति बढ़कर २८४९ मेगावाट होगी। इतनी बिजली इस राज्य में नदियों के नैसर्गिक प्रवाह को बनाये रखते हुए भी बनाई जा सकती है। फिर इस राज्य में भागीरथी और उसको पोषित करने वाली नदियों के साथ ऐसी छेड़छाड़ क्यों हो रही है ? यह हमारी समझ से बाहर है। हमने सरकार को गंगा के भावी संकट से बचाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए :

हमें बिजली का प्रकाश तो चाहिए, लेकिन कितना... इसकी कोई सीमा बने। बिजली की मांग दिन दूनी-रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है ? हमे हमारे हाथ, पैर, मस्तिष्क... सबको लुंज-पुंज बनाने के लिए बिजली क्यों चाहिए ? जीवनशैली को नकारा बनाने वाली ऐसी सुविधाओं को प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है, जो बिजली खाती हैं ? कार्य के सीमित क्षेत्रों में बिजली के उपयोग की दिशा में काम क्यों नहीं होता ? जो संसाधन निसर्ग की देन है, उसका एक साथ दोहन करना क्या ठीक है ? जो संसाधन जीवन को बनाये रखने में मदद करते है, वे अगर थोड़े समय में ही खर्च कर लिए जायेंगे, तो कंगाल कौन होगा ? हम ही तो। प्रलय आने वाली है; ऐसा लोग कहते रहते है। ठीक है! आ सकती है, सृष्टि नियम चक्र के अनुसार... मगर उसे बुलाने की इतनी जल्दी हमें क्यों है ?

सोचना यह है कि जीवन चलता किस शक्ति के सहारे है? मनुष्य की

सृजनात्मक विशेषता का विवेक और मानवता से क्या संबंध है ? मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है ? पूरे विश्व को जिस शान्ति की खोज है... वह क्या है ? कैसे प्राप्त हो सकती है ? क्या वह प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन में निहित है।

भारतीय जीवन व विचार की आस्था की प्रतीक भागीरथी के संकट निवारण को प्राथमिकता पर रखने के आग्रह के साथ उल्लिखित मुद्दों पर सरकार विचार करेगी, समाज भी सोचेगा, संत जन का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा... तभी भागीरथी भी बची रहेगी और हम भी।

डा. रागिणी प्रेम, बनवासी सेवा आश्रम

...इतनी बिजली इस राज्य में नदियों के नैसर्गिक प्रवाह को बनाये रखते हुए भी बनाई जा सकती है। फिर इस राज्य में भागीरथी और उसको पोषित करने वाली नदियों के साथ ऐसी छेड़छाड़ क्यों हो रही है ?

गंगा और जल बिरादरी

यह सच है कि गंगा और भारत की दूसरी नदियों का संरक्षण आज बडी चुनौती है; क्योंकि आज गंगा और दूसरी नदियों पर शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण करने वाली ताकतें एकजुट है। ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गंगा रहे या जाये ....गंगा इनकी प्राथमिकता नहीं है। अतः जरूरी है कि सबसे पहले गंगा हमारी प्राथमिकता बने। यह सब एक दिन में होने वाला नहीं। गंगा बचाने को लेकर गंगा किनारे के अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग लोगों द्वारा आवाजें उठती ही रही हैं; लेकिन कहीं संकल्प की कमी और कहीं एकता के अभाव ने नतीजे नहीं दिए। स्पष्ट है कि गंगा के साथ मजूबत रिश्ते वाले वर्ग की पहचान और उसे एकजुट किए बगैर नतीजे आने वाले नहीं।

नदी संरक्षण सत्याग्रह २००८ के इस पूरे दौर में लोगों से लगातार संवाद के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गई कि गंगा के साथ सबसे मजबूत और गहरा रिश्ता गंगा किनारे स्थापित संतों और भक्तों का है। भक्तों में कावड़ियों के दल एक बड़ा प्रभावकारी माध्यम बन सकते है। नदी और नीर के साथ नारी के रिश्ते की महत्ता भी कम नहीं है। नारी की आस्था और क्षमता गंगा संरक्षण में एक बुलंद आवाज बन सकती है। इसी के मद्देनजर जल बिरादरी ने गंगा संस्कार बनाने हेतु कावड़ियों के साथ कार्य शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में प्रख्यात पुरामहादेव धर्म स्थान व ग्राम डौला के आस-पास के कांवड़िए इस अभियान से जुड़ रहे है। जलबिरादरी ने जब वर्ष २००८ को नदी संरक्षण सत्याग्रह वर्ष घोषित किया, गंगा दशहरा को नदी दिवस और २० मार्च को जलाधिकार दिवस के रूप में मनाने का संकल्प जताया। कुछ ऐसा

ही संकल्प प्रो० जी.डी.अग्रवाल के मन में भी बरसों से उमड़-घुमड़ रहा था। आप एक ओर जाने-माने पर्यावरण विषेशज्ञ-वैज्ञानिक, आई.आई.टी. के बडे प्रोफेसर ओर दूसरी और तरूण भारत संघ जैसे जमीनी और सरल काम करने वाले संगठन के उपाध्यक्ष हैं। यह उनकी ही चिन्ता थी, जिसने छोटे-छोटे तालाबों को बनाकर रचना के छोटे-छोटे काम करने वाले संगठनों के मन को भी नदी पर अत्याचार का प्रतिकार करने को प्रेरित किया।

प्रो. अग्रवाल वैज्ञानिक होते हुए भी गंगा की रक्षा को विज्ञान का नहीं, अपनी आस्था का प्रश्न मानते है। उन्होंने जल बिरादरी द्वारा घोषित नदी दिवस को भारत की सब नदियों की प्रतीक गंगा की रक्षा का 'संकल्प दिवस' मान लिया। प्रो.अग्रवाल ने बसंतपंचमी २००८ को घोषणा की कि यदि गंगा की मूल धारा भागीरथी का गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक अविरल प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया, तो वह १३ जून, २००८ को गंगा दशहरा के दिन से उत्तरकाशी में आमरण अनशन करेंगे। उत्तराखण्ड सरकार ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गंगा दशहरा से ठीक दो दिन पहले गंगोत्री और उत्तरकाशी के बीच भागीरथी पर एक और जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन कर दिया। प्रो. जी.डी. अग्रवाल का संकल्प पक्का था। देशभर में जल बिरादरी व दूसरे कई संगठन उनके समर्थन में जुट गये थे। अनशन शुरू होना ही था, सो हुआ।

इसी दिन जहां एक और उत्तर की काशी में प्रो. अग्रवाल के निश्चय की धमक सुनाई दी, वहीं दूसरी ओर पूरब की काशी.. वाराणसी में गुरू दण्डीस्वामी जी ने भी आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसी दिन जल बिरादरी की लगभग समस्त प्रदेश इकाइयों ने इस अनशन के समर्थन में उपवास रखा और अपनी-अपनी

स्थानीय नदी के संरक्षण हेतु प्रयास का संकल्प लिया। देशभर में नदी दिवस के संकल्प और संदेश को प्रचारित कर मीडिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई।

बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती समेत देश के नामी गिरामी संतों ने भी अपना संदेश भेजकर अपना समर्थन दिया।

देश के अलग-अलग इलाकों से उठी इन आवाजों की आहट से राज्य व केन्द्र सरकारें कुछ सचेत हुईं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ने नदी संरक्षण हेतु तत्काल एक उच्चसमिति गठित करने की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भी गंगा शुद्धि हेतु अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। उधर दिल्ली की सत्ता में भी कुछ हलचल सुनाई दी। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री भुवनचन्द्र खंडूरी जी ने भी इस आहट को सुना। उनके खुफिया तंत्र ने उन्हें सचेत किया। परिणामस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री ने एक दिन अचानक भागीरथी पर उत्तरकाशी से ऊपर बन रही तीन में से दो जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य रोक दिया। इससे बौखलाकर जलविद्युत कम्पनी के गुण्डों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों का सामान नदी में फेंक दिया। धमकी दी। स्वामी परिपूर्णानन्द सरस्वती जी पर हमला भी किया।

प्रो. अग्रवाल ने इसे अपनी सफलता मानते हुए आगे का संघर्ष दिल्ली की सरकार के समक्ष करने का निर्णय लिया; लेकिन जलबिरादरी का मानना था कि मुख्यमंत्री का पत्र पूरी तरह आश्वस्त नहीं करता। इसमें सिर्फ परियोजनाओं को रोकने की बात कही गई है.... परियोजनाओं को रद्द करने की नहीं। अतः जलबिरादरी ने २२ जून २००८ को एक जनसभा कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी संकल्प को आगे बढाते हुए २३ जून

१६ जून २००८ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रो. गुरूदास अग्रवाल को प्रेषित पत्र

अ.शा. संख्या १४०/पी०एस०/कैम्प/२००८

दिनांक १६ जून २००८

कृपया अपने पत्र दिनांक ७ जून २००८ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि गंगोत्री से धरासू तक गंगा नदी के नैसर्गिक प्रवाह को बनाये रखने विषयक है। इसके पूर्व आपने एक पत्र दिनांक १४ अप्रैल २००८ को भी लिखा था, जिसमें उत्तरकाशी से उपर भागीरथी नदी का नैसर्गिक स्वरूप बरकरार न रखने के विरोध स्वरूप आपके द्वारा आमरण अनशन दिनांक १७ जून, २००८ से प्रारम्भ करने की बात कही गयी थी।

गौमुख से उत्तरकाशी के मध्य भागीरथी नदी में तीन विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन प्रस्तावित हैं। इनमें से दो परियोजनाएं, भैरव घाटी '३८१ मेगावाट' तथा पाला मनेरी '४८० मेगावाट' उत्तराखण्ड़ जल विद्युत निगम द्वारा बनायी जानी प्रस्तावित है। तीसरी परियोजना लोहारी नागपाला '६०० मेगावाट' केन्द्र सरकार की इकाई-एन.टी.पी.सी. द्वारा निर्मित की जा रही है। पाला मनेरी परियोजना में उत्तराखण्ड़ जल विद्युत निगम द्वारा लगभग रू. ८० करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

इस प्रकार निर्माणाधीन प्रस्तावित तीन परियोजनाओं में से दो के बारे में ही राज्य सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। इन परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से काम रोक दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

२००८ से हर की पौड़ी पर स्वामी परिपूर्णानन्द सरस्वती और श्री प्रेमदत्त नौटियाल ने आमरण अनशन की घोशणा कर दी। मांग एक है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाये। इसके बाद तो जैसे देश में गंगा की लड़ाई तेज हो गई। संत अविमुक्तेश्वरानन्द जी ने गंगा सेवा अभियान का श्री गणेश कर दिया। देश की सप्त मोक्षपुरियों में सांकेतिक अनशन की तैयारी शुरू कर दी। २६ जून २००८ को अनशन हुआ, और संतों से सवाल भी खड़े किये गये कि गंगा की शुद्धि तो संतों की ही जिम्मेदारी थी। उसे वे क्यों नहीं निभा रहें? यह एक तरह से संतों को उनके संस्कार व कर्तव्य का एहसास कराने की दिशा में उठा कदम था। १२ जुलाई, २००८ को देश के सभी ज्योतिर्लिगों में गंगा सभायें आयोजित की गई, ताकि भक्त क़ांवड़ियों के मन में गंगा के प्रति अपने कर्तव्य का प्रश्न उठ सके। वे सोच सकें कि वह अपने आराध्य शिव पर जिस जल को चढ़ाने जा रहें है, क्या वह जल अब इस लायक बचा है? गंगा सभा में यह आह्वान किया गया कि दूषित जल को शिवलिंग पर चढ़ाना महापाप है। इससे शिव प्रसन्न होने के बजाय क्रोध में सब कुछ बिगाड़ दें, तो कोई अचम्भा नहीं। ये बात सिर्फ लोगों के मन में कर्तव्य का एहसास जगाने के लिए ही की गईं। सरकार की जागृति के लिए भिन्न चर्चा और संवादों की सहमति पर 'गंगा लोकादेश' भी जारी हुआ।

इस सारे प्रयास का नतीजा यह है कि प्रो. जी.डी. अग्रवाल की सदस्यता के साथ केन्द्र सरकार ने नदी के प्रवाह पर जलविद्युत परियोजना के प्रभाव की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। उत्तराखण्ड ने परियोजनाओं पर रोक का आश्वासन भी अधूरा ही है और सुझाव हेतु उच्चस्तरीय समिति के गठन की बात भी गंगा प्रवाह की पवित्रता और निरन्तरता को लेकर

आश्वस्त नहीं करती। हर की पौड़ी पर शुरू हुआ अनशन भी अभी किसी ठोस आश्वासन पर नहीं पहुंचा है। पुलिस और प्रशासन वहां भी अनशन समाप्त कराने की कोशिश में लगा है, लेकिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का संकल्प सरकार में दिखाई नहीं देता। हमारी कोशिश है कि हम गंगा संरक्षण के लिए जारी लोकादेश को लेकर पूरे देश में जायें और आज जो प्रयास गंगा व कुछ अन्य नदियों पर हुए है, वैसे ही बिगुल पूरे देश में सुनाई पड़े। हमारी नदियों पर संकट इतना गहरा और तेज है कि अब बिना एकस्वर..... एकजुट हुए काम चलने वाला नहीं। उम्मीद है कि अब आवाज उठी है, तो दूर तक जायेगी।

गंगा के प्रवाह में बाधक सभी संरचनाओं को हटाया जाये।
पंडित मदनमोहन मालवीय जी के साथ १९१४ में गंगा प्रवाह के सम्बन्ध में हुये समझौते को लागू किया जाये।
गंगा संरक्षण के लिए गंगा आयोग बने।

गंगा एक्सप्रेस वे अध्ययन यात्रा

(९ से १५ जनवरी २००८) दिल्ली से बलिया

जैसे ही हमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव की जानकारी मिली, हमारे कान खड़े हो गए। गंगा एकसप्रेस-वे कोई सड़क नहीं, बल्कि यह तो एक तरह से गंगा के बाढ़ क्षेत्र के भीतर एक तटबन्ध है। नदी के उत्तरी तट पर वर्तमान प्रवाह से इसकी दूरी नदी बाढ़ क्षेत्र के भीतर स्थाई निर्माण की मनाही के वैज्ञानिक मानदंडों के एकदम खिलाफ है। इससे गंगा, गंगा किनारे की आबादी व भूगोल सब जायेंगे। उत्तर बिहार की नदियों पर निर्मित तटबन्धों के अनुभवों ने अब तक हमें यही सिखाया है। हमने पांच जनवरी २००८ को वाराणसी में सभा कर सरकार को पहले ही चेताया था? लेकिन सरकार तो टेंडर, आर्थिक जोन और आठ घन्टे में बलिया से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की बेसब्री में व्याकुल हो रही थी। एकसप्रेसवे के संभावित प्रभावितों को परियोजना की उचित तरीके से पूर्व सूचना देना व सहमति लेना भी सरकार ने जरूरी नहीं समझा।

अपने को दलितों की बेटी कहने वाली मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंगा किनारे के मजदूर, दलित, मल्लाह तथा छोटी काश्तकारी वाली आबादी को उजाड़ने से भी परहेज नहीं किया है। आखिर यह परियोजना इन्हें ही तो उजाड़ने वाली हैं।

जब कोई सरकार हठधर्मिता पर उतर आए, तो हमारे जैसे सामाजिक पहरेदारों के पास सिवाय इसके क्या चारा बचता है कि जो सच है, हम वह कहे; सत्य का आग्रह करें। श्री रामधीरज जी की अगुवई में उत्तर प्रदेश जल बिरादरी का एक छह सदस्यीय अध्ययन दल ९ जनवरी २००८ को यमुना सत्याग्रह स्थल, दिल्ली

से चलकर एकसप्रेसवे के रास्ते छह दिन की यात्रा पर बलिया रवाना हुआ।

अध्ययन दल एकसप्रेस-वे को लेकर किए जा रहे बाढ़ नियंत्रण, यातायात व विकास संबंधी सरकारी दावों के अध्ययन पर निकला था। इसमें श्री रामधीरज, उत्तर प्रदेश जल बिरादरी के अरविन्द कुशवाह, ईश्वरचन्द, तरुण भारत संघ के सत्येन्द्र सिंह, विनोद कुमार, राकेश सिंह तथा पत्रकार अरुण तिवारी शामिल थे।

अध्ययन दल का अनुमान है कि यह गंगा एक्सप्रेस-वे गंगा का मारक तटबन्ध साबित होगा, क्योंकि इसका ज्यादातर रूट गंगातट से १.५ कि मी के आसपास से होकर गुजरेगा। इसकी ऊचाई ७.८ मीटर होगी। इससे गंगा का बाढ़ का प्रकोप ओर उसकी जैविकी का संकट और बढ़ेगा। गंगा के दाएं तटीय क्षेत्र अभी बाढ़ से कम प्रभावित होते हैं, वहां भी बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर बिहार में तटबंधों के अनुभव बताते हैं कि अभी १० से १५ दिन तक टिकने वाली बाढ़ की अवधि व प्रवाह में तेजी से बढ़ जायेगी। निचला ढ़ाल क्षेत्र होने के कारण एक तट जल भराव से प्रभावित होगा, तो दूसरी ओर पानी की कमी के क्षेत्र बनेंगे; साथ ही खेती का मिजाज भी बदलेगा। इससे गंगा के जैविकी में नकारात्मक बदलाव तथा इलाकों की पशुधन व वन सम्पदा पर भयानक कुठराघात की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अध्ययन दल का अनुमान है कि गंगा एक्सप्रेसवे से ८० हजार वर्ग हेक्टेयर का भूगोल, २५० करोड़ का वार्षिक फसल उत्पादन और पांच करोड, २१ लाख की आबादी सीधे-सीधे प्रभावित होगी। इससे तीन लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे। सरकार

को चाहिए कि वह इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही परियोजना पर काम करें। एक्सप्रेसवे बाढ़, सुखाड़, दलदल, बंजर के इलाके बढ़ायेगा तथा बड़ी संख्या में वनस्पति को नुकसान पहुंचायेगा... सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक्सप्रेसवे प्रदेश में अपराध व नई झोपडपट्टियों को भी जन्म देगा।

दल ने स्पष्ट किया कि गंगा उत्तर प्रदेश की आस्था और संस्कृति की महाधारा है। आर्थिक जोन के नाम पर हमारे प्राकृतिक व अर्थिक संसाधनों के लुटेरों के रहमोकरम पर छोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के धनपशुओं की निगाहें आज भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर लगी है। कहीं बिजली, कहीं यातायात, तो कहीं खेलगांव के नाम पर हमारी नदियां बेची जा रही हैं। आखिर किसी भी सरकार को कुदरत के इन अनमोल उपहारों व आस्था के तीर्थों के साथ छेड़छाड़ इजाजत कैसे दी सकती है? जल बिरादरी ने सवाल उठाया कि आखिर एक्सप्रेस वे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार इतनी जल्दी में क्यों है कि पर्यावरणीय प्रभाव के पूर्व आकलन, व्यवहारिकता रिपोर्ट व जन सुनवाई की पूर्व प्रक्रिया अपनाएं बगैर ही परियोजना के शिलान्यास कर दिया गया? यदि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के हित में है, तो जनता से सहमति और सुझाव क्यों नहीं लिए गए? ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार भी अन्य सरकारों की तरह विश्व बैंक के डंडे पर काम कर रही हैं। सिंचाई विभाग पहले ही विश्व बैंक के ठेके पर है।

दरअसल सरकार को किसी दबाव में आने की बजाय को उत्तर बिहार में तटबन्धों के कारण बाढ़ के बढ़े प्रकोप से सीख लेनी चाहिए। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर नर्मदा के अनुभवों को

भुलाया नहीं जा सकता । यूं भी कोई भी आबादी निर्जीव नहीं होती कि उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया जाये। आज तक कोई भी सरकार विस्थापित आबादी, पशुधन, परिवेश तथा सम्बन्धों व पुरखों की थाती का पुनर्वास नहीं कर सकी है। अध्ययन दल ने उत्तर प्रदेश के संगठनों के साथ मिलकर फरवरी २००८ से गंगा तट के सभी गांवों में जाकर गहन अध्ययन व जन जागरण अभियान चलाने का निश्चय किया। उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल, आज़ादी बचाओ आन्दोलन तथा कई बुद्धिजीवी, छात्र व किसान संगठनों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। दूसरे संगठनों ने अदालत में भी गंगा एकसप्रेसवे को चुनौती दी है। जलबिरादरी ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा। जिसे 'गंगा जनादेश' का नाम दिया। अब यह उत्तरप्रदेश ही नहीं, समस्त गंगापुत्रों की जिम्मेदारी है कि वे गंगा के वक्षस्थल को धनपशुओं का चारागाह बनने से बचाएं।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक सहमति प्राप्त किये बगैर किसी आबादी को उजाड़ने-बसाने की प्रक्रिया शुरु करने का हक किसी को नही होता। अतः गंगा एक्सप्रेस वे के मूल प्रस्ताव पर जनसहमति कतई नहीं दी जा सकती ।

यमुना

सरयू

हिण्डन

सई

बादस

सोनभद्र

बांडी लूणी

दामोदर

अडियार

कूवम

अकरावती

वैधवती

गार्वी

दिल्ली यमुना सत्याग्रह

खूब डटे यमुना के बेटे

यमुना सत्याग्रह से जुड़े हुए समस्त बहनों एवं भाइयों को यह जानकर हर्ष होगा कि यमुना सत्याग्रह के एक वर्षीय संघर्ष के अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। डी. डी. ए. के अध्यक्ष महामहिम उपराज्यपाल महोदय ने घोषणा की है कि अब यमुना खादर क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा तथा यमुना नदी के छोर को हरा-भरा ही रखा जायेगा। ऐसा कर उन्होंने हमें सहयोग दिया है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि यह दिल्ली में यमुना सत्याग्रह के किसान साथी तथा मा. बलजीत सिंह, दीवान सिंह, मनोज मिश्र और बहन सुधा मोहन के सतत् संघर्ष, धैर्य व संकल्प का नतीजा है। यूथ फॉर जस्टिस के नौजवानों व कईं पत्रकार साथियों ने भी इसमें अहम् भूमिका निभाई। यमुना सत्याग्रह एक अगस्त, २००७ को खेलगांव की प्रस्तावित भूमि पर एक शीशम के पेड़ के नीचे मेरे साथ चंद ग्रामीणों ने वृक्षारोपण कर शुरू किया था। खेलगांव के निर्माण कार्य के शुरू होने पर यमुना सत्याग्रह स्थल को राष्ट्रीय राजमार्ग २४ के साथ अक्षरधाम के पास स्थानान्तरित किया गया था।

यमुना सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी क्षेत्र में कोई भी पक्का निर्माण कार्य न होने देना एवं यमुना नदी को शुद्ध सदानीरा बनाना है। यह सत्याग्रह धीरे-धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। अनेक समाजसेवी संस्थाओं एवं समाज के हर वर्ग के लोगों ने यमुना सत्याग्रह को ऊर्जा प्रदान की। यमुना खादर की भूमि पर सब्जी-नर्सरी के जरिए रोजी कमा रहे समसपुर जागीर, शकरपुर, पटपड़गंज, मंडावली, फाजलपुर, चिटला, सरौदा, गावडी, उस्मानपुर, घोण्डा, सीलमपुर एवं बेला स्टेट के अनेक किसानों ने मा. बलजीत सिंह के

नेतृत्व में इस सत्याग्रह के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित किए। १९४९ में गठित किसानों की एक संस्था (दिल्ली पीजेन्टस् कॉपरेटीव मल्टीपरपज सोसायटी ५१५०, बल्लीमारान, दिल्ली ०६) ने अपने महासचिव एवं प्रधान जी के माध्यम से इस सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 'यमुना जिए अभियान' से भाई मनोज मिश्र एवं बहन सुधा मोहन भी शुरू में ही इस सत्याग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। दीवान सिंह दिल्ली के पर्यावरण की चिंता करने वाले एक जुझारू नौजवान हैं। आप सभी इस सत्याग्रह को इस जवानी तक ले आए हैं। ऐसे दिल्ली में पानी की बिरादरी भी खड़ी हुई है।

इस सत्याग्रह को आम लोगों का सत्याग्रह बनाने के लिए समय-समय पर अनेक समारोह एवं उत्सव आयोजित किए गए। राष्ट्रीय गायक एवं ग्रामीण आंचल के हृदय सम्राट चौ. ब्रह्मपाल नागर ने यमुना के गीतों एवं रागनियों का एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया । प्रसिद्ध गांधीवादी डा. एस. एन. सुब्बा राव ने भिन्न -भिन्न राज्यों से आए हुए नौजवानों के साथ सत्याग्रह स्थल पर एक सफल सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। आन्दोलकारी बहन मेधा पाटकर, बहन राधा भट्ट, बहन वंदना शिवा और गांधी शांति प्रतिष्ठान के रमेश शर्मा जी भी समय-समय पर सत्याग्रहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सत्याग्रह स्थल पर आए। श्री अनुपम मिश्र ने परदे के पीछे रहकर अग्रणीय सहयोग दिया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए श्री राकेश टिकैत एवम् डा. युद्धबीर सिंह ने भी सत्याग्रह स्थल पर आकर अपना समर्थन प्रदान किया। यमुना सत्याग्रह पर होने वाले सभी उत्सव एवं कार्यक्रमों का आयोजन यहां के स्थानीय किसानों ने ही किया गया। यमुना सत्याग्रह में भाई किशोरीलाल की अभूतपूर्व भूमिका है। इन्होंने लेखन एवं गायन की धूम मचाई। इन्होंने अपने भजनों के माध्यम से सभी सत्याग्रहियों को जोड़े रखा । अनेक समाचार पत्रों एवं टी. वी चैनलों ने भी इस यमुना सत्याग्रह को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हम सभी के आभारी हैं।

यमुना नदी हमारी जीविका-जीवन-जमीर-आस्था... सभी कुछ है; परन्तु राज एवं समाज आज सब इसकी दुर्दशा के प्रति उदासीन हैं। पहले राजग सरकार ने नदी क्षेत्र में अक्षरधाम मन्दिर बनाकर यमुना सीने पर बुलडोलर चलाने, उसे रौंदने... अतिक्रमण का पाप किया; अब कांग्रेस सरकार नदी क्षेत्र में खेल गांव- मेट्रो जंक्शन बनाकर यमुना नदी को कैद करने में जुटी है। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद खेलगांव खेल के नाम पर खुली लूट का उदाहरण बनेगा। यमुना सत्याग्रह ने न्याय प्राप्त करने हेतु एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। आदरणीय संजय पारिख साहब ने यमुना सत्याग्रह के पक्ष को बहुत अच्छे से उच्च न्यायालय में रखा। माननीय उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयं न्यायधीशों ने मौके पर जाकर देखा कि क्या खेलगांव वाकई नदी क्षेत्र में बन रहा हैं? जास्टिस सीकरी एवं जास्टिस रेखा शर्मा ने बहुत अच्छी तरह से कोर्ट में हमारा पक्ष सुना, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब कुछ सुनने के बाद भी फैसला सुरक्षित कर दिया। पिछले छह महीने से एक ओर फैसला सुरक्षित पड़ा है; दूसरी ओर खेल गांव का जोरों से चल रहा निर्माण कार्य यमुना की असुरक्षा बढ़ा रहा है।

यह एक अनुभव है। इस अनुभव सत्ता का भी है। जब लोग सत्ता में होते हैं, तो नशे में रहते हैं अक्सर सत्ता से बाहर आने पर ही जागते हैं; जैसा कि जार्ज फर्नांडिस ने सत्याग्रह स्थल पर आकर कहा-''अक्षरध ाम मन्दिर मंजूरी का मैं अपराधी हूं। मुझे मालूम नहीं था कि अक्षरध ाम नदी क्षेत्र में बन रहा है। इसके लिए क्षमा याचना करता हूं।'' ऐसा ही अब नई सरकार कर रही है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों वाली राष्ट्रमंडल खेलों की समिति ने हमारी बात तो सुनी, लेकिन किया कुछ नहीं।

यमुना सत्याग्रह को नदी क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए दो यात्राएं भी आयोजित की गई। पहली यात्रा ''भूजल बचाओ यात्रा'' थी।

इसका नेतृत्व कर मैंने खुद दिल्ली से बहुत कुछ सीखा। यह यात्रा यमुना सत्याग्रह स्थल से शुरू होकर पल्ला गांव तक गई। यमुना नदी के पूर्वी छोर से होती हुई वापस सत्याग्रह पहुंची। अगले दिन यात्रा नदी के दक्षिण क्षेत्र के लिए शुरू हुई। नगली रजापुर -सराय काले खां होती हुई जैतपुर गांव गई तथा वापस मदनपुर खादर होते हुए सत्याग्रह स्थल पर पहुंची। इस यात्रा में गांव वालों के साथ अनेक सभाएं हुई तथा गांव वालों ने यमुना सत्याग्रह में भागीदारी निभाने का वायदा किया। दूसरी यात्रा कुतुब से ताज के लिए जून ५, २००७ को भाई मनोज मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुई। यात्रा आगरा तक जाकर यमुना नदी के पूर्वी छोर से होती हुई १४.७.०८ को वापस सत्याग्रह स्थल पर पहूंची।

३० जुलाई को इस यमुना सत्याग्रह का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस दिन हम इस संकल्प को आगे ले जाने हेतु आगे के कार्यक्रम बनायेंगे। अब इसका उद्देश्य दिल्ली के समाज को यमुना से जोड़कर इसकी शुद्धता हेतु काम करना है। सरकार और समाज अपनी जिम्मेदारी समझे। यमुना सत्याग्रह में बहुत से युवा कार्यकर्ता जुड़े है, जो कि यमुना हेतु विविध काम कर रहे है। मा. बलजीत सिंह, दीवान सिंह और मनोज मिश्र ने अब यमुना सत्याग्रह का कार्य सम्भाल लिया है। ये तीनों ही अब नये युवाओं को यमुना सत्याग्रह से जोड़ने हेतु कार्यरत है। तमाम चुनौतियों के बावजूद खुले आकाश के नीचे सर्दी-गर्मी-बरसात में सत्याग्रह रुका नहीं; यह सत्याग्रह की सफलता तथा लोगों के जुड़ाव का बड़ा प्रमाण है। जब यमुना सत्याग्रह शुरू हुआ, तो दिल्ली में लोगों ने इसे भी जंतर-मंतर के रोजमर्रा का धरना-प्रदर्शन समझ कर उपेक्षित ही किया था। मेरे कई साथियों ने ही मुझे इसमें अपनी ऊर्जा लगाने को मना किया; लेकिन सौभाग्य और संकल्प से कुछ अच्छे साथी आ मिले, हम सतत् चलते रहे।

उत्तराखण्ड नदी बचाओ अभियान

उत्तराख़ण्ड हिमालय के लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता पिछले कई दशक से उत्तराखण्ड के जल, जंगल व जमीन के सम्बन्ध में निरन्तर आवाज उठाते रहे है कि प्राकृतिक सम्पदाओं के उपयोग का पहला अधिकार उस जनता का है,जो इनके निकट बसी है; जिसका इनसे सुख-दुख का रिश्ता है। दरअसल उत्तराखण्ड राज्य के रूप में एक नई पहचान के बाद राज्य की नदियों पर विशेषतः दो संकट आये है। पहला-वनों से उद्गमित होने वाली कोसी, रामगंगा, सरयू, गंगास, गोमती आदि अनेक नदियों का जलप्रवाह चिन्ताजनक रूप से घट रहा है और दूसरा-देश में आस्था व संस्कृति का आधार बनी भागीरथी, यमुना, अलकनन्दा, मंदाकिनी व सरयू पर सुरंग-बांध बन रहे है। नदियों को मीलों लम्बी सुरंगों में डाला जा रहा है। इन सुरंगों के ऊपर सैकड़ों गांव बसे हुए हैं। इससे लोगों में असुरक्षा भाव पैदा हुआ है। सुरंगों के ऊपर... जैसे अलकनन्दा घाटी में बसे चांई गांव के धंसने व भागीरथी घाटी के थिरांग गांव में दरारों से ध्वस्त हो रहे मकान की घटना से अन्य गांवों में भी दहशत फैल गई है। इससे भी बड़ी चिंता नदियों की जल-गुणवत्ता व संवेदनशील हिमालय के टिकाव पर खड़े हो रहे सवाल हैं।

'उत्तराखण्ड नदी बचाओ अभियान' राज्य की सभी नदियों में नैसर्गिक प्रवाह बनाये रखने के लिए जनता को रचनात्मक कार्यों के क्रियान्वयन व सरकार को अनूकूल नदी नीति निर्माण के लिए प्रेरित करने का दोहरा कार्यक्रम चला रहा है। पूर्व में भी उत्तराखण्ड की विभिन्न नदियों में 'नदी बचाओ अभियान' के साथी अपनी-अपनी नदी घाटी में सक्रिय होकर कार्य कर रहे थे ; परन्तु आठ जुलाई २००७ को ये सभी एक साथ जुड़कर 'उत्तराखण्ड नदी बचाओ अभियान' के बैनर

तले सक्रिय हुए है। २००८ को 'उत्तराखण्ड नदी बचाओ वर्ष' घोषित कर यह अभियान १५ नदी घाटियों में १५ दिवसीय पदयात्रा, रामनगर में दो दिन का जनसम्मेलन, तथा गढ़वाल मंड़ल में १० दिन की पदयात्रा का प्रथम चरण (१५ मई से २५ मई २००८) पूर्ण कर चुका है। अब कुमाऊं क्षेत्र की जलयात्रा (द्वितीय चरण) की तैयारियां चल रही है।

इन कार्यकर्ता साथियों ने ग्रामीण सहयोग द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में जलागम क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए चाल-खाल में सैकड़ों पोखरियां बनाई हैं। महिलायें, विशेषतः सैकड़ों महिला मंड़ल अपने जंगलों व कृषिभूमि को बचाने के लिए सक्रियता से जागरूक हुए है। इन महिलाओं ने जन-अभिक्रम के द्वारा सरयू, मन्दाकिनी और भागीरथी नदियों पर बन रहे सुरंग-बांधों के निर्माण कार्यों को पिछले कई महीनों से रोक रखा है। अभियान ने अपनी प्रत्येक गतिविधि व उद्देश्यों से राज्य के मुख्यमंत्री तथा प्रशासन को बराबर अवगत कराया है। जनप्रतिनिधियों को भी आगाह किया गया है।

यह सही है कि इस अभियान के सामने ऊर्जा प्रदेश का सरकारी लक्ष्य व इस प्रकार के कार्यों से जुड़ी कंपनी व स्थानीय ठेकेदार लॉबी आड़े आती है, परन्तु अभियान के निरन्तर बढ़ते प्रभाव का असर अब सरकार पर भी दिख रहा है। संभव है, कि सरकार सोचे कि ऊर्जा प्रदेश का दर्जा हासिल करने की धुन में कहीं न प्रदेश बचे, न नदियां और न ऊर्जा।

इस अभियान के साथ जुड़े मुख्य सम्पर्क :-

मन्दाकिनी घाटी -श्री आत्माराम बहुगुणा-०९४११३८८९४५,
श्रीमती सुशीला भंडारी, श्री गजपालसिंह भंडारी-०९४१११०९७८७
अलकनन्दा घाटी- श्री लक्ष्मण सिंह नेगी-०९४१२९७०८१२,
श्री रणजीत सिंह जाखी-०९४१२०७९४००
भागीरथी घाटी- श्री सुरेश भाई-०९४१२०७७८९६

यमुना टौंस घाटी- श्री प्रेम पंचोली
सरयू/काली नदी- श्री बच्चीसिंह बिष्ट-०६४११३४६४२७
कोसी नदी- श्रीमती बसन्ती बहन-०६४११७६५३२०,
डा० शमशेर सिंह बिष्ट-०६४१२०६२०६१, श्री सुरेन्द्र सिंह जलाल
रामगाड़ नदी- श्री नेनेसिंह डंगवाल
भवाली गाड़- श्रीमती सुनीता शाही-०६४१२०३७७६६
पनार नदी- श्री भुवनचन्द्र जोशी, श्री चन्द्रा जोशी
गंगास नदी- श्री जगदीश भंडारी
भिलंगना नदी- श्री अवतार सिंह नेगी-०६४१२०७६२०६
बालगंगा नदी- श्री बिहारी लाल
गौला नदी- श्री राजीव लोचन शाह-०६४११४६६८२५
श्री राधा भटट-०६४११५७३४२८, रवि चोपड़ा-०६४१११३५६७६,
श्री बसन्त पान्डे-०६४११५७३४६०

सरयू पर संघर्ष

सरयू नदी उत्तराखण्ड की अलंकृत नदियों के से एक है। इस पर उत्तर भारत पावर कारपोरेशन की निगाह लगी है। इसके संकट को जानकर नदी तट के सोंग गांव ने अपनी आवाज उठा दी है। उसे सरकार व कंपनी को लोकादेश जारी कर अपनी लड़ाई शुरू कर दी है।

सरयू, उत्तराखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश में सृष्टि का अंलकार है। इसलिए बिना समाज के सहमति के किसी कंपनी को यह नदी नहीं दी जा सकती है। इसलिए हम सब सरकार को यह आदेश देते हैं कि सरकार तत्काल कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करें।

सरयू लोकादेश

१. सरयू हमारी मातृस्वरुपा है। मां हमें पालती-पोषती करती है। अतः हम उत्तर भारत पावर कारपोरेशन द्वारा इसका विनाश नहीं होने देंगे।
२. सरयू का जल-जंगल, जमीन हमारी जीविका है। जीविका का हक हम नहीं नष्ट होने देंगे। उत्तर भारत हाईड्रो का काम हम सरयू में रोक देंगे। सरकार आज ही कार्य रोक दें, तो अच्छा होगा; अन्यथा हानि के लिए सरकार और कम्पनी जिम्मेदार होगी। हमारी हानि की क्षतिपूर्ति सरकार या उत्तर भारत हाईड्रो कारपोरेशन करेगी।
३. सरयू हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार है। इसमें विकास का लालच दिखा कर इसे नष्ट करना हमारे मौलिक अधिकार और प्रकृति के पहले हक का हनन है। इसकी रक्षा हेतु हमने सरयू बचाओ आन्दोलन शुरु किया है। यह आन्दोलन प्रकृति-धरती-नदी की रक्षा का संवैधानिक कार्य है। हम भारत लोकतन्त्र में अपने संवैधानिक रक्षा हेतु जारी रखेंगे। हमें यह नहीं करना पड़े, इसलिए सरकार तुरन्त सरयू नदी पर हो रहे विनाश को रोकें।
४. हम प्रकृति संरक्षण के साथ खेती-जंगल-जमीन का संवर्द्धन द्वारा विकास करेंगे। हम सरयू नदी की हत्या करने वाली योजना काविरोध करते हैं। हम विनाष वाले विकास को रोकेगें।
५. हिमालय भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। सरयू को टनल में डालना घातक है। हमारी आखें इसे पहाड़ियों में बहते देखना चाहती है। हम इसके बहाव को बाधित नहीं होने देंगे।
६. नीर-नारी-नदी के रिश्ते गहरे हैं। हम इस रिश्ते को कायम रखेगें। सरयू दिवस मनायेगें। जल बचायें-जीविका बनायें-जमीन बढ़ायें। यह हमारी मांग है।
७. सरयू नदी सोंग गॉव जैसे नदी के किनारे बसे पूरे समाज की है। यह केवल राज की नहीं है; सरयू समाज और सृष्टि की साझी है। हम इसे शुद्ध-सदानीरा बनायेंगे। पहाड़ियों की हरियाली बचायेंगे। सरयू हमारी है। हम ही सरयू की सरकार है।

सोंग गांव द्वारा जारी

सई बचाओ आंदोलन

उत्तर प्रदेश के छः प्रमुख जिलेकृकृ हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को सींचने वाली प्रमुख जीवनदायिनी नदी-सई का जल पूरी तरह जहरीला हो चुका है। उन्नाव व लखनऊ में सई की धारा सूखने का समाचार भी मिला। कभी लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत रही सईं नदी का जल... अब मौत, भूखमरी, पलायन और बेकारी का सबब बनता जा रहा है। सई नदी क्षेत्र लाखों परिवारों के लिए सिचाई, पेयजल, मछली, बालू, खेती और बागवानी के प्रमुख संसाधन के रूप में जीवन का प्रमुख आधार रहा है। आज यह भी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो गई है। प्रदूषित जहरीले पानी के कारण पशु-पक्षी-मवेशी-मनुष्य आदि अनेक बीमारियों से ग्रसित हो असमय काल-कलवित हो रहे है। अनादि काल से प्रवाहित सईं नदी का वर्णन वेद, शिवपुराण, श्री रामचरित मानस, शिवपुराण, दुर्गासप्तसती से लेकर बौद्ध स्मृतियों तक में है। यह साबित करता है कि आजीविका के साथ-साथ सईं नदी करोड़ों लोगों के आस्था और विष्वास का भी प्रतीक है। भारत वर्ष की विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय नदी-गंगा की प्रमुख सहचरी नदियों में से एक . ..गोमती का जौनपुर में आलिंगन करने वाली सईं नदी खुद खतरे में है।

सईं नदी की दुर्दशा की सर्वाधिक दोषी रायबरेली स्थित भवानी पेपर मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'ग्रीन कार्ड' दिया जाना यह साबित करता है कि सभी जीवनदायिनी नदियों के प्रति सरकारी रवैया क्या है ?

सई नदी की बर्बादी और मेहनतकश समुदायों की तबाही से चिंतित तटवासी विगत ढाई-तीन वर्षों से संघर्षरत है। दिसम्बर २००५ में तटवासियों द्वारा गठित सईं नदी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा धरना,

प्रदर्शन और ज्ञापनों के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनवरी २००६ में जौनपुर जनपद के दर्जनों गावों के पीड़ित सैकड़ों परिवारों ने मल्लाह बाहुल्य गांव हरखपुर में सत्याग्रह छेड़ दिया। सईं बचाओ आन्दोलन के सूत्रधार और जल बिरादरी के साथी द्विजेन्द्र विश्वात्मा के नेतृत्व में पीड़ित गांववासियों ने ७२ घंटे का उपवास रखा और प्रधानमंत्री, भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की। देश के जाने-माने गांधीवादी समाजसेवी डा. एस.एन. सुब्बा राव... खुद मैंने भी हरखपुर पहुंचकर आन्दोलन को गति देने में साझेदारी की।

जन पंचायतों के माध्यम से मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मई २००८ को समिति ने महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भेजकर-सईं नदी को बचाने, पीड़ितों को राहत देने व दोषियों को दण्डित करने की मांग पर पुनः जोर देते हुए 'सई पैकेज एवम् 'सईं-कार्य योजना' का सुझाव दिया है। प्रदेश सरकार ने एक सई संरक्षण समिति के गठन की औपचारिकता निभा कर इतिश्री कर ली; हुआ कुछ नहीं। अतः अब 'सईं बचाओ संघर्ष समिति' ने व्यापक जनान्दोलन का मन बना लिया है। राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के परिणामस्वरूप प्रदेश की अन्य कई नदियों की हालात बद से बदतर हैं।

शिक्षकों, वकीलों, पत्रकारों, डाक्टरों, समाजसेवियों व धर्मावलम्बियों की बढ़ रही भागीदारी और जनसमर्थन यह दर्शाता है कि जलस्वराज के लिए व्यापक हस्तक्षेप से ही रास्ता निकलेगा।

बुंदेलखण्ड में अकाल और पूर्वांचल में गहराता भू-जल संकट नदी जल के कुप्रबन्धन को स्वतः प्रमाणित करता है। इसी कड़ी में सई बचाओं संघर्ष समिति, एकता परिषद और जल बिरादरी ने पीड़ित तटवासियों, प्रभावित अकाल पीड़ितों तथा गांधीवादी संगठनों को

संगठित कर प्रदेशव्यापी जल सत्याग्रह के रूप में प्रभावी पहल का निश्चय किया है। इसी कड़ी में वंचितों, पीड़ितों, शोषितों की महापंचायत का आयोजन अक्टूबर, २००८ में किया जा रहा है। हम सभी को सक्रिय सहभागिता का न्यौता देते हैं।

प्रमुख सम्पर्क सूत्रः-
द्विजेन्द्र विश्वात्मा- ०९९१५६५१४८८
अरविन्द कुशवाह :- ०९९३५८२७३५२,
ईश्वर भाई :- ०९४५०६३२३४०, ०९३३५०८०२६६,
राजू सिंह :- ०९९८४३७४३९९, अंशुश्रीमाली :- ०९४१५४०८५९०,
रूपेश :- ०९४१५९८८९०९, सुधीर त्रिपाठी :- ०९४५००३६३८०,
महेन्द्र राजपूतः- ०९९१८८९३२९३, बिजेन्द्र सिसोदियाः- ०९९८४३८०३५७, अभय सिंह :- ०९४५०३१२४२९, अवनीश मिश्र :- ०९४१५६८९७९९, प्रभाकर सिंह :- ०९४५१६७६८३४, रामधीरज भाई :- ०९४५४२२०१५९,

हिण्डन प्रदूषण मुक्ति अभियान

हिंडन सहारनपुर से निकल कर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद होते हुए गौतमबुद्ध नगर में यमुना में समाहित होती है। हिंडन जल बिरादरी लम्बे अरसे से इसकी प्रदूषण मुक्ति की दिशा में सोच रही थी। हिंडन की मिट्टी से मेरा जन्म का रिश्ता है। लगातार चर्चा के बाद हिंडन के दोनों तट पर मैंने स्वयं पूरे दो साल साथ रह कर एक-एक हफ्ते लम्बी पदयात्राएं की, जगह

–जगह चर्चा की, सवाल उठाए। इस पूरे दौर में डा. जे. बी. सिंह, प्रो. पी. के. शर्मा, रमेश शर्मा, कृष्णपाल सिंह, स्वामी यज्ञमुनि और विक्रम शर्मा सरीखे साझीदार बने। तरुण जल विद्यापीठ के छात्रों ने नदी प्रदूषण व प्रभाव का जन साधारण की दृष्टि से अध्ययन किया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रो. रेड्डी और डा. भट्टी ने हिंडन की तकनीकी रिपोर्ट तैयार की। इस बीच तय हुआ कि पूरी नदी पर एक साथ कार्रवाई सम्भव नहीं है। अतः प्रो. एस प्रकाश और प्रो. पी. के. शर्मा के अगुवाई में कृष्णा नदी के गावों को एकजुट कर सामाजिक व कानूनी कार्रवाई की। प्रदूषकों के खिलाफ नोटिस जारी हुए। नतीजतन कई फैक्टरियों को अपना कचरा समेटना पड़ा। सहारनपुर का गांव भनेड़ा –खेमचन्द 'संघर्ष से सफलता' की मिसाल बन गया। अब ये संघर्ष प्रेरणा बन कर नदी प्रदूषण के खिलाफ अलख जगा रहा है।

हिंडन नदी पर स्थित वाल्मीकि आश्रम, बालैनी के पास गंग नहर बहती है। स्थानीय निवासियों ओर संगठनों के नेतृत्व में जल बिरादरी सरकार पर ये दबाव बनाने में सफल रही कि नहर का पानी हिंडन में छोड़ा जाए। परिणामस्वरूप हिंडन का पानी बेहतर हुआ है। इससे हमारी चिन्ता कम जरूर हुई है, लेकिन अभी हिंडन को पूरी तरह स्वस्थ - समृद्ध व आस्था के पूर्व मुकाम पर लौटाने के मार्ग में चुनौतियां बहुत हैं। आप इस बाबत नदी क्षेत्र के निम्नलिखित सक्रिय साथियों के साथ साझा बना हिडन प्रदूषण मुक्ति के अगुवा बनेंगे... ऐसा हमारा विश्वास हैं।

हिन्डन प्रदूषण मुक्ति अभियान सम्पर्क सूची :

कृष्णपाल सिंह , डौला, बागपत, फोन न. ०९४११०९२८२१,

प्रो. एस. प्रकाश, बागपत, फोन न. ०९४५९४९७५९५,

श्री देवेन्द्र सिंह, बागपत, ०१२१-२२१६१६,
विक्रान्त शर्मा, गाजियाबाद, ०६८११२५१२५२,
डा.पी.के. शर्मा, सहारनपुर, ०६४५६८३६६४३,
स्वामी यज्ञमुनि, मुज़्फरनगर, ०६८३७७०६७४०

बादस नदी

उत्तर भारत में गजरोला में बादस नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने की यात्रा किसानों ने की तथा सम्मेलन आयोजित करके मिले मालिकों पर दबाव बनाया। बिजनौर में भी इस दिशा में कार्य शुरू हुआ।

सोनभद्र

उ.प्र. में सोनभद्र नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बनवासी सेवा आश्रम की प्रमुख बहन डा. रागिणी प्रेम ने आदिवासियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा जल संरक्षण कार्य किया है।

अब शोभा बहन भी इस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने में प्रो. गुरूदास अग्रवाल जी के साथ जुड़ी है। डा. ब्रह्मजीत यहां के लोगों का शिक्षण कर रहे है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब बनवासी सेवा आश्रम को भी जिम्मेदारी देने में रुचि रखता है। यह स्वैच्छिक संस्थाओं की बड़ी जीत है।

अब भारत सरकार ऐसे कामों की जिम्मेदारी संस्थाओं को सौंप रही है, जिस काम हेतु संस्थाओं को आन्दोलन करना पड़ता है। शायद सरकार वह समझने लगी है कि ये काम सरकार, समाज और संस्थायें मिलकर बेहतर कर सकती हैं।

बांडी-लूणी नदी

सीधी कार्रवाई : सीधा आदेश

आजादी के बाद देश भर में नदियों के किनारे जहां सब्जियां और फसलें पैदा होती थी, अब वहां या तो तेजाबी जहरीला पानी बह रहा है। राजस्थान की बांड़ी और लूणी नदी में खरबूजे, तरबूज गर्मी के दिनों में पैदा होते थे; आज वहां भी तेजाबी पानी ने जमीन बंजर बना दिया है।

दरअसल लूणी नदी किनारे पाली शहर में औद्योगिक पानी को शुद्ध करने के लिए तीन संयंत्र है। प्रत्येक पर ७० लाख रुपये मासिक बिजली खर्च होता है। यहां के संयत्रों के संचालकों का कहना है कि हम एक हजार लीटर पानी को शुद्ध करने पर ११ रुपये खर्च करते है। बिजली व शोधन दोनों मिलाकर खर्च का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन इस पानी का कोई उपयोग नहीं करते। राजस्थान में वर्षा कम होती है और पानी का भयानक संकट है। भू-जल के भण्डार खाली है। फिर भी इतने मंहगे शोधन से मिले पानी का सदुपयोग क्यों नही? इस क्षेत्र में पानी दोहन आधारित उद्योग लगाना कानूनी तौर पर भी मना है, फिर भी यहां नये टैक्सटाइल उद्योग बड़ी तादाद में लग रहें हैं। पुराने उद्योगों में पानी शुद्धि के नाम पर १० करोड़ सालाना सरकारी पैसा खर्च होता है। यह पानी सल्फयूरिक और हाईड्रोक्लोरिक एसिड वाला होने के कारण नदी के खेती की उपजाऊ जमीन को बिगाड़ता है; भू-जल के भण्डारों को प्रदूषित करता है। यह पानी नदी किनारे के किसानों को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है।
यहां पर उच्च न्यायालय ने पिछले सालों में इन उद्योगों को बन्द करने के सख्त आदेश दिए हैं:

१. पहला आदेश २१/७/२००३ को दिया गया। इसमें बालोतरा की जो फैक्ट्रियां नदी में प्रदूषित पानी डाल रही है, उनके बिजली-पानी के कनेक्शन काटने को कहा गया। जिसकी आंशिक पालना ही हुई। इसमें से इस वक्त ३०० कारखाने ऐसे है, जो किसी भी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से नहीं जुडे हैं एवं अपना कचरा सीधे लूणी नदी में डाल रहें है। ये कारखाने गांधीपुरा, छत्रियों का मोर्चा, चोंच मंदिर, खारोड़िया वेरा एवं सांकरना क्षेत्र में स्थित है। इनके अलावा जसोल में १० कारखाने और बालोतरा खेड़ पर ५० कारखानों का प्रदूषित पानी भी लूणी नदी में आ रहा है। इस हेतु जिला प्रशासन को बार-बार निवेदन करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

२. दूसरा आदेश ६/३/२००४ को हुआ। यूं यह आदेश पानी के कारखानों हेतु था । इस आदेश को बालोतरा के सभी कारखनों पर लागू होने की निर्देश दिए गए। इस आदेश में पृष्ठ ४६ पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से छः निर्देश दिए। इसमें मुख्यता प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद कराने के आदेश किए गए थे, लेकिन उसकी पालना पूरे तरीके से आज भी नहीं हुई है। किसानों की जो जमीनें खराब हुई हैं, उसका मुआवजा देने के भी आदेश थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त भी लूणी नदी में एक करोड़ लीटर प्रदूषित पानी मिल रहा है। यह पानी बिटूजा, बालोतरा, जसोल, तेमावास, मेवानगर, तिलवाड़ा होते हुए सिणधरी पहुंच गया है। आगे यह पानी सड़ा, पायला नगर, गुड़ा एवं गांधव तक पहुंचा है। औद्योगिक कचरा बालोतरा से १५० किलोमीटर तक लूणी नदी में उपजाऊ कृषि भूमि को प्रदूषित कर रहा है।

३. उच्च न्यायालय ने तीसरा आदेश २/४/२००४ को दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी कारखाने ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जुड़े हैं, उन्हें तुरन्त बंद कराया जाए, लेकिन इस आदेश की भी

करीब-करीब पालना ही नहीं हुई है।

४. उच्च न्यायालय ने १८/१०/२००४ को कारखाना मालिक एवं राज्य सरकार द्वारा पुनः विचार के प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने गरीब किसानों की बात को सुना एवं उस पर आवश्यक आदेश दिए, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। उपरोक्त आदेशों के बावजूद समस्याएं और प्रदूषण नदी में बढ़ ही रहा है।

नदी को शुद्ध-सदानीरा बनाने के लिए किसान, समाज व जलबिरादरी ने सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं तथा उच्चन्यायालय से सब तरह की गुहार की। बावजूद इसके नदी और गंदी होती गई, तो १५ फरवरी २००८ को पूरी नदी के दोनो तरफ के किसानों ने सात हजार संख्या में पाली कलक्ट्रेट के सामने लोकादेश दिया। ये अपने फावड़े साथ लेकर गंदे पानी के नालों को रोकने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में गये। हजारों की संख्या में फावड़ों के साथ आये किसानों ने नालों को रोकना शुरू किया। सीधी कार्रवाई ने सीधा प्रभाव दिखाया है। आगे की योजना बनाई है कि जब तक उद्योग अपने पानी को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक नदी में उद्योगों का पानी नहीं आने देगें। इस योजना पर सभी किसानों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया है। साथ-साथ राज्य सरकार को एक लोकादेश भी सौंपा है। जिसमें स्पष्ट कहा है कि बांड़ी-लूणी नदी व किनारे के बगीचे खेती को नष्ट करने का काम रासायनिक रंगों ने किया। रासायनिक रंग के उद्योग पाली में अवैध रूप से चल रहें है। इन्हे चलाने में अधिकारी, व्यापारी और पूंजीपतियों का त्रिगुट साथ है। इन्होंने बांडी-लूणी नदी की हत्या कर दी है। सरकार उन्हें दण्डित करे, और इस नदी को शुद्ध-सदानीरा बनाने का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू करे। कहा कि सरकार सुनिश्चित करें कि जहां भू-जल के भण्डार प्रदूषित हो रहे है, उन्हें शुद्ध किया जाये।

खेती की जमीन जो बंजर हो गई है, उसे खेती योग्य बनाया जाये तथा इसकी क्षतिपूर्ति किसानों को मुआवजा देकर की जाये। इनके अतिरिक्त नदी लोकादेश के अन्य बिन्दु भी ज्ञापन में षामिल किए गए।

गंगा–दामोदर

पटना के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार ने बिहार की बाढ–सुखाड़ मुक्ति हेतु नदियों को संरक्षित व समृद्ध करने की मांग के साथ समाज में अलख जगाई है। ये गोमुख से फरक्का (गंगासागर) तक जगह–जगह गंगा यात्रा में शामिल हुए। इन्होंने बैद्यनाथ, देवधर के पण्डों–पुजारियों को भी गंगा संरक्षण कार्य में जोड़ा है। १२ जुलाई को देवधर ज्योतिर्लिंग में गंगा सम्मेलन आयोजित किया गया था।
झारखण्ड में घनश्याम भाई ने ३० जून को कान्हा सिद्धू की याद में हूल दिवस मनाते हुए नदी बचाने का अह्वान किया। इन्होंने दामोदर घाटी में नदी संगठन बनाने की शुरूआत की है। झारखण्ड राज्य की सभी नदियों में नदी घाटी संगठन बनाना तय किया है। आपके संगठन उलगुलान महिला मंच और उलगुलान मंच ने इस दिशा में प्रभावकारी प्रयास शुरू किया है।

अडियार – कूवम

तमिलनाडु में टी.के. मुकन्दन, संगीता, रामा, राम ईलिगों एवम् अन्नामलाई ने नदी संरक्षण सत्याग्रह की शुरूआत अडियार एवम् कूवम नदी से की। मैं स्वयं चेन्नई और कूवम–वाकम गया। वहां जाकर यह यात्रा शुरू की। तमिलनाडु सरकार के जलबोर्ड अध्यक्ष ने भी हमारी मदद की। उन्होंने नदी संरक्षण में सहयोग की नीति बनाने में रुचि ली।

मद्रास विकास संस्थान में जनकराजन और सुरेश आदि साथियों नमिलकर नदी संरक्षण सत्याग्रह को सफल बनाने की रणनीति बैठक आयोजित कर अपना संदेश राज्य में फैलाया। तमिलनाडु में कूवम नदी के कब्जे हटाकर उसका सीमांकन हुआ ; खंभे गड़े। आगे कब्जे नहीं हों, ऐसी व्यवस्था बनाई गई।

अरकावती – वैधवती

कर्नाटक के साथियों ने अरकावती और वैधवती नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम शुरू किया है। यहां के राज्य सन्दर्भ केन्द्र में नदी और जन शिक्षण आरम्भ कराने की बातें तय हुई हैं। इन्होंने जल संबंधी नौ प्रवेशिका बनाई हैं, जो जल साक्षरता हेतु बहुत उपयोगी है।

गार्वी (रावी)

महाराष्ट्र में मनीष रांजणकर ने गार्वी (रावी) नदी को पुनर्जीवित करने का काम अरवरी नदी की तरह ही शुरू किया है।

नदियां हमारी प्राणरेखा हैं
कोई कूड़ादान नहीं

नीर-नदी-नारी पंचायत

नारी लड़ेगी, नदी बचेगी

मेरे घर में मां, बहन और अब मेरी पत्नी ही मुझे जल देती है। जब कभी काम का बंटवारा हुआ होगा, तो नरियों ने ही नीर की व्यवस्था करना अपनी जिम्मेदारी मानी होगी ; तभी तो आज तक ये ही "सभी को पानी" पिलाती आ रही है पूर्व में पानी के निर्णय भी ये ही करती थी, लेकिन जब पानी की इन्जीनियरिंग आगे आई, तो निर्णय प्रक्रिया में नारी पीछे चली गई; यूं तो काम अब भी ये ही करती है।

नारी केवल नीर की समझ रखती हो, इतना ही नहीं है; ये इसे सहेजती और अनुशासित होकर उपयोग भी करती रही हैं। जब से पानी पाइप लाइन में कैद होकर शौचालय और स्नानघर में पहुंचा, तब से पानी के उपयोग सम्बन्धी नारी का अनुशासन टूट गया। मुझे याद है कि मेरी मां मुझे परात में बैठाकर नहलाती थी।

जो पानी नहाते वक्त इक्ट्ठा हुआ, उससे पहले मेरे कपड़े खंगालने मे उपयोग करती थी; फिर पानी उसी परात में डाल देती थी। उस पानी से घर के बाहर चौक के लिए पीली मिट्टी को भिगोने में और कभी किसी दूसरे घरेलु काम में लेती थी।

मैंने अपने घर में कभी पानी बरबाद होते नहीं देखा, जबकि हमारे इलाके में खूब पानी था।

मेरी पत्नी पानी का उतना सम्भाल नहीं कर पाती, जितना मेरी मां। मेरी दादी खादर की थी, इनके गांव में पानी खारा था, इसलिए जो मीठा पानी पीने के लायक था, उसे तो वे घी से भी ज्यादा सहेजकर रखती थी। नीर सहेजने का काम तो नारी बखूबी करती रही है। अब भी सभी की सम्भाल का काम ये ही करती है, लेकिन अब घर से बाहर पानी सहेजने के निर्णय पुरुष ही करते है। घर से बाहर के साझे व बड़े कार्यो में ये आगे नहीं आती। ये जानती है कि बड़े काम बिगाड़ करते है, इसलिए ये घर के भीतर पानी व सहेजने के छोटे-छोटे कार्यो में लगी रहती हैं। नदी जैसी बड़ी जीवनधारा में जीवन को देखने की दृष्टि आज भी नारी में ही है। वह नदी को जीवन मानकर उसे पवित्र-प्राणों जैसा प्यार करती है। किंतु अपनी बेसमझी से या दूसरों की शरारत से नदी गंदी होती या मरती हो, तो भी ये बोलती नहीं हैं। यह ठीक नहीं है। अब इन्हें नदी-नारी के रिश्ते जीवित रखने हेतु बोलना भी चाहिए।

नीर-नदी-नारी पंचायत इनका बोलने का मंच मात्र नहीं है, यह पंचायत अब नदियों को बचाने, इन्हें शुद्ध-सदानीरा बनाने, नदियों की पवित्रता और धरती की हरियाली हेतु देशभर में काम करने वाला संगठन बनेगा। देश की बहादुर बहनें इस संगठन के द्वारा नदियों का संकट मिटाने आगे आयेंगी।

नारी का नीर हक लेने हेतु ये भारत सरकार से संवाद शुरू करेगी। भूजल शोषण रोकने हेतु भारत भूजल नियंत्रण अधिनियम के तहत् ''भूजल नियंत्रण नारी पंचायत'' बने ; ऐसे सशक्त कदम ही भूजल शोषण को सतत् निगरानी करके भूजल पर सबको समान हक देने वाला सिद्धांत स्थापित करेंगे।

यदि नारी एक बार सोच सकी, तो शहर, तीर्थ, घाट... यानि

स्त्रोत से संगम तक सब जगह प्रदूषण-शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज खड़ी हो सकेगी। अब हमारी बहनें ही नदी की हत्या को रोकने का नेतृत्व करेंगी। जहां बहनों ने ऐसे गलत कार्य रोकने की पहल की है; वहां अच्छी सफलता मिली है।

नदी पर संकट है; नारी आगे आयेगी। ये ही नदी को बचायेंगी। यदि यह बात एक बार बढ़ी, तो फिर नदीं बचाने का काम अपने आप दौड़ने लगेगा। नारी देवी है... दुर्गा है। बहनें शुरू करें... भाई स्वतः साथ आयेगें। हमारी कोई भी बहन किसी नदी के नीर को प्रदूषण-शोषण-अतिक्रमण मुक्त बनाने की पहल करेगी; मैं वादा करता हूं, कि वे अकेली नहीं दिखेगी। हम जैसे कई भाई भारत के हर कोने से उनके साथ होंगे।

नदियां सब की साझी है; बहनों का इन पर ज्यादा हक है। पूजा से लेकर घर-आंगन के कार्य नीर से ही पूरे होते है। नीर की बूंद किसी भी रूप में हम पाएं, वह नदी की संगिनी ही होती है।

प्राकृतिक सिद्धांत ने ही जल के विविध नामकरण किए। बादल से निकली जल की बूंद 'इन्द्र जल', धरती पर आकर 'वरूण जल' और धरती के पेट में जाकर वह 'गंगाजल' कहलाती है। हिम पिघलकर जब नदी में आता है, तब भी वह गंगाजल ही कहलाता है। अधिकतर हिमस्त्रोत ऐसे ही होते है। कुछ भूजल स्त्रोत पेयजल योग्य नहीं होते; फिर भी भारतीय समाज ने धरती के पेट और हिमशिखर दोनों को पवित्र मान लिया है। जहां मानव दखल जितना कम है, प्राकृतिक पवित्रता वहां उतनी ही ज्यादा है।

नारी अधिक पवित्र होती है, इसलिए नदी को ''पापनाशिनी और मां कहकर नीर-नदी-नारी रिश्ते को गहरा और पवित्र बनाया गया। नदी-नारी के पवित्र रिश्तों को और मजबूती देने के लिए नदियों की पवित्रता का आन्दोलन नारियों को ही चलाना होगा।

सभी धर्मो की नारी पवित्रता हेतु लड़ती है। नदी की पवित्रता हेतु लड़ने वाली लड़ाई भी नदियों की जीत की लड़ाई बनेगी।
नारी स्वयं सब कष्ट झेलकर बड़ी साधना के बाद दूसरों को जन्म देती है। अब नदियों के पुनर्जीवन की साधना बहनें शुरू करें और पुरुषों को भी इसी काम में लगाये।
यूं गंदा करने वालों को दण्डित करना तथा पुनर्जीवित नदी को शुद्ध-सदानीरा बनाने का काम करने वालों को प्रोत्साहित करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। सरकारें तो उलट कर रही है। वह अब स्वयं नदियों की हत्या करने वालों को ही प्रोत्साहित करने में जुटी है। जब सरकार उल्टा करने लगती है। तब नारी ही सब को सीधा करती है। नदी शुद्धता हेतु लड़ना सबको सीधा बनाना ही है। राज-समाज और संत सब उल्टा चलने लगे है। नारी समाज को बनाने वाली है। वह संस्कार से लेकर तकरार तक की अगुवई करेगी, तो सभी को साथ आना ही होगा।
'नीर-नारी-नदी पंचायत' भारतीय ज्ञानतंत्र का सम्मान है। आज की प्रगतिशीलता इसी में है। जरूरी है कि अब भारत अपनी मूल अच्छी आदतों को पुनः व्यवहार और संस्कार बनाये। भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज प्रकृति को पुनर्जीवित करने में नारी को आगे आने की जरूरत है। पूरे समाज को चाहिए कि वह नारी और प्रकृति के सहअसत्तिव का सम्मान करते हुए नदी के प्रदूषण-अतिक्रमण-शोषण का प्रतिकार करें।
बिगुल नारियों को बजाना होगा। क्योंकि अनुभव बताते है कि नारी अपने निश्चय के प्रति अधिक गंभीर होती हैं नदी-नीर बचाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, इसमें सभी की पहल जरूरी होती है। .तो क्यूं न नारी पहल करें ! 'नीर-नदी-नारी पंचायत' इसका प्रतीक बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

कैसे बने संयोग ?

परंपरा से भारत में सरल-सहज रुप में सभी कामों की प्रबन्धन कार्य प्रणाली रही है। इसी प्रकार भारतीय समाज ने नदी प्रबन्धन के लिए भी संस्कारों को माध्यम बनाकर एक शाश्वत् संरक्षण व्यवस्था खड़ी की थी । इसके तहत् भारत में जहां भी नदी स्त्रोत हैं, वहीं एक तीर्थ बना मिलता हैं। कोई भी... कहीं भी जाकर देख सकता है। दरअसल यह नदी संरक्षण की भारतीय व्यवस्था का एक अद्भुत तरीका है। आस्था के ये तीर्थ केवल मूल स्त्रोत पर ही हों, ऐसा नहीं है। नदी किनारे जहां भी समाज बसा, वहीं समाज ने नदी के साथ व्यवहार-संस्कार-सुधार हेतु अपने ऊपर एक रखवाला चुना।

जाहिर है कि नदी का रखवाला तो ऐसा प्रकृति प्रेमी ही हो सकता है, जिसका जीवन प्रकृतिमय होवे। सच्चे ऋषि और सन्त का जीवन प्रकृतिमय ही होता है। जो भी प्रकृति से लेन-देन की बराबरी को व्यवहार में लाता है... वह किसी भी धर्म का हो, वह ऋषि है। इनका मूल काम प्रकृति से शोध करके मानव जीवन को सुखी, समश्द्ध, शान्तिमय बनाना था। नदी के साथ मानवीय संस्कार व्यवहार कैसा होवे? ....ऋषि ही तय करते थे। इन्होंने ही नदी शुद्धता का एक अद्भुत तरीका व्यवहार में उतारा था।

मुझे याद है कि जब मैं नौ साल का था, तब मेरी दादी मुझे संगम स्नान कराने प्रयाग लेकर गई थी। वहां एक टेन्ट में हम गंगा के किनारे रहते थे। एक बाल्टी पानी लेकर वे टेन्ट में आई, पहले

मुझे वहां स्नान कराया। मेरे सिर पर पानी डाला, तो मुझे हाजत की जरूरत हुई; तब मुझे दादी ने कहा- 'जा जंगल भी हो ले'। जंगल का अर्थ शौच जाना होता था; क्योंकि हम बचपन में प्रातः गांव के जंगल में ही शौच जाते थे। मलमूत्र त्याग करके ही गंगा में स्नान करें-यही हमारा संस्कार था। आज मुझे इसके महत्व का आभास होता है।

न्यायमूर्ति जी गिरधर मालवीय जी मुझे कुछ दिन पहले कह रहे थे,-'बचपन में घर स्नान करके गंगा स्नान का संस्कार था; जिससे मलमूत्र-पसीना भी गंगा जी को गन्दा नहीं कर सके। हमने उस संस्कार को छोड़ा नहीं है।' सच! ऐसे इन्सान ही ऋषि होते थे। आज भी ऐसे ऋषि सभी धर्मों में हैं। यह तो नदी संस्कार की बात है। आज समाज इस बात की चिन्ता नहीं करता है; क्योंकि जिन्हें देख समाज प्रेरित होता है; जिनका अनुशासन मानता है, वे ही समाज व प्रकृति के साथ अपने अनुशासन व रिश्तों का ख्याल रखना छोड़ दे... तो क्या होगा? जब समाज... सन्त को देखना बन्द कर दे या सन्त.... समाज व संस्कार की चिन्ता छोड़ दे; तभी नदी अशुद्ध होनी शुरू होती है।

गंगा भारत की पवित्रतम नदी मानी जाती है। मैं अभी कुछ दिन पूर्व उत्तराखण्ड में गंगोत्री-यमुनोत्री आदि स्थानों पर घूम रहा था। देखा कि जीवन भर यमुना-गंगा की पवित्रता की सुरक्षा हेतु संस्कार कराने वाले सन्त भी आज अपने शौचालय का पाइप नदी में खोलकर बेखबर है।

ऐसी सब घटनाएं देखकर ही समाज 'नदी को मैला ढोने वाली मालगाड़ी' में बदलता हैं। समाज नदियों की मैला डालकर हत्या कर रहा हैं। जाने-अनजाने सन्तों ने समाज को ऐसा करने हेतु संस्कार व अनुशासन मुक्त कर दिया है। क्या यह सच नहीं है?

सन्त... समाज को तभी रोक सकते है, जब आप स्वयं नदी को पवित्र, शुद्ध, सदानीरा बनाते हों। अपने संस्कार से स्वयं सम्भलते व सुधरते हुए जीते हों। गंगोत्री में भी मंन्दिरों, आश्रम-अखाड़ों, होटलों का मैला सीधे नदी में आकर गिरता है। हमारी पवित्रतम् नदी के उद्गम के हालात आज ऐसे है। शहरों के बड़े घाट जिन पर भारतीय सभ्यताएं बनी, पली और बढ़ी... सैकड़ों सन्तों की उपस्थिति के बावजूद इनका हाल अब बीमार... बेबस है।

यह भी इन्हीं का दायित्व बनता है कि यदि समाज ने इस दिशा में कहीं अच्छी शुरुआत की हो, तो सन्त ऐसे लोगों को ढूंढकर प्रोत्साहित करें। अतः अब सन्तों को नदी संरक्षण और नदी पुनर्जीवन कार्य स्वयं शुरू करना चाहिए।

जल बिरादरी सन्त, सरकार और समाज को २८ से ३० जुलाई २००८ के बीच दिल्ली में साथ बैठाने की कोशिश कर रही है। अब आगे का निर्णय तो स्वयं सन्तों को करना है। ये समाज और सरकार से नदी संरक्षण-पुनर्जीवन हेतु कैसे काम लेंगे? बाल भवन नई दिल्ली में आयोजित समाज-सरकार-संत-नदी-समागम के फैसले और सन्तों के संकल्प से रास्ता मिलेगा। ऐसी उम्मीद है। लेकिन यह सच है कि भारत का समाज व सरकारें आज भी धर्मभीरू हैं। आज भी धर्म व धर्म के झंडाबरदारों की एक आवाज पुलिस, प्रशासन, समाज... सरकार सभी को चौकन्ना कर देती है। यदि आज भी सभी धर्मों के अच्छे संत, फकीर... धर्मगुरु अपने-अपने दायरों से निकलकर नदी संरक्षण के लिए एकजुट व एकस्वर हो जायें, तो समाज व सरकार स्वतः अनुशासित हो जायेंगे। दोनों अपने-अपने लालच व मलीनता को त्यागकर मजबूर होंगे, कुछ करने के लिए.... ताकि भारत की नदियां जिंदी रह सकें।

नदी लोकादेश - २००८

१. राष्ट्रीय ध्वज, पशु पक्षी, जीव आदि प्रतीक की भांति 'गंगा-एक राष्ट्रीय प्रतीक' के रूप में घोषित एवम् संरक्षित हो। प्रदेश भी अपनी एक मुख्य नदी को 'प्रादेशिक नदी' के रूप में घोषित एवम् संरक्षित करें।

२. केंद्र व प्रदेश क्रमशः अपनी राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक नदी नीति बनायें।

३. नदियों के भू-उपयोग व स्वामित्व में कभी भी... किसी भी प्रकार का परिवर्तन वैधानिक तौर पर मान्य न हो।

४. प्रत्येक नदी विशेष हेतु विशेष पारिस्थितिकीय प्रवाह के मानक निर्धारित हो और हर स्थिति में उसकी पालना सुनिश्चित करने की व्यवस्था बने।

५. नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार, स्थानीय समुदाय, पंचायत, नगरपालिका व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को जोड़कर नदीवार निगरानी इकाइयों का गठन एवम् उन्हे कार्रवाई के वैधानिक अधिकार दिए जाएं।

६. नदियों के प्रदूषण नियंत्रण की जवाबदेही तय करें। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी व मौतों के मामलों के न सिर्फ प्रदूषकों, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जवाबदेह नियंत्रण तंत्र के खिलाफ भी दीवानी अदालतों के मुकादमा चलाने की प्रावधान दो। आखिरकार किसी की हत्या करने वाला सिविल कोर्ट में सिर्फ जुर्माना भरकर कैसे बच सकता है।

७. नदी में मैला डालना एक बड़ा प्राकृतिक अपराध है।

अतः यह सुनिश्चित हो कि ग्राम पंचायतें, नगर निगम व पालिका अपने सीवेज कचरे को शोधित किये बगैर नदी में कदापि न डालें। पूरे देश में जल शोधन की एक जैसी प्रणाली कारगर नहीं हुई है। अतः स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्थानीय समाधान व संसाधन को प्राथमिकता दें।

८. प्रत्येक नदी के सर्वोपरि बाढ़ बिन्दु के दोनों ओर कम से कम १०० मी. चौड़े क्षेत्र को व्यापक स्तर पर हरी घास तथा स्थानीय जैवविविधता का सम्मान करने वाली वनस्पति के सघन क्षेत्र के रूप में संरक्षित एवम् संवर्द्धित किया जाए।

९. सरकार जनसहमति से नदियों के ऊपरी, मध्य व निचले छोरों में पानी की प्रकृति व उपलब्धता के अनुसार बसावट, उद्योग व खेती की सीमा व प्रकार का निर्धारण हो।

१०. सरकार देश की आर्थिक व ऊर्जा की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ सेज़ और 'जल विद्युत' पर पूरा जोर लगाने की बजाय, विकास व ऊर्जा के अन्य विकल्पों को भी बराबर तवज्जो दे तथा तदानुसार निवेश बढ़ायें।

निवेदक

राष्ट्रीय नदी संरक्षण सत्याग्रह २००८

जलबिरादरी, ३४/४६, किरणपथ, मानसरोवर, जयपुर - ३०२०२०

दूरभाष : ०१४१-२३९३१७८,

ई-मेल : watermantbs@yahoo.com

वेबसाइट : tarunbharatsangh.org

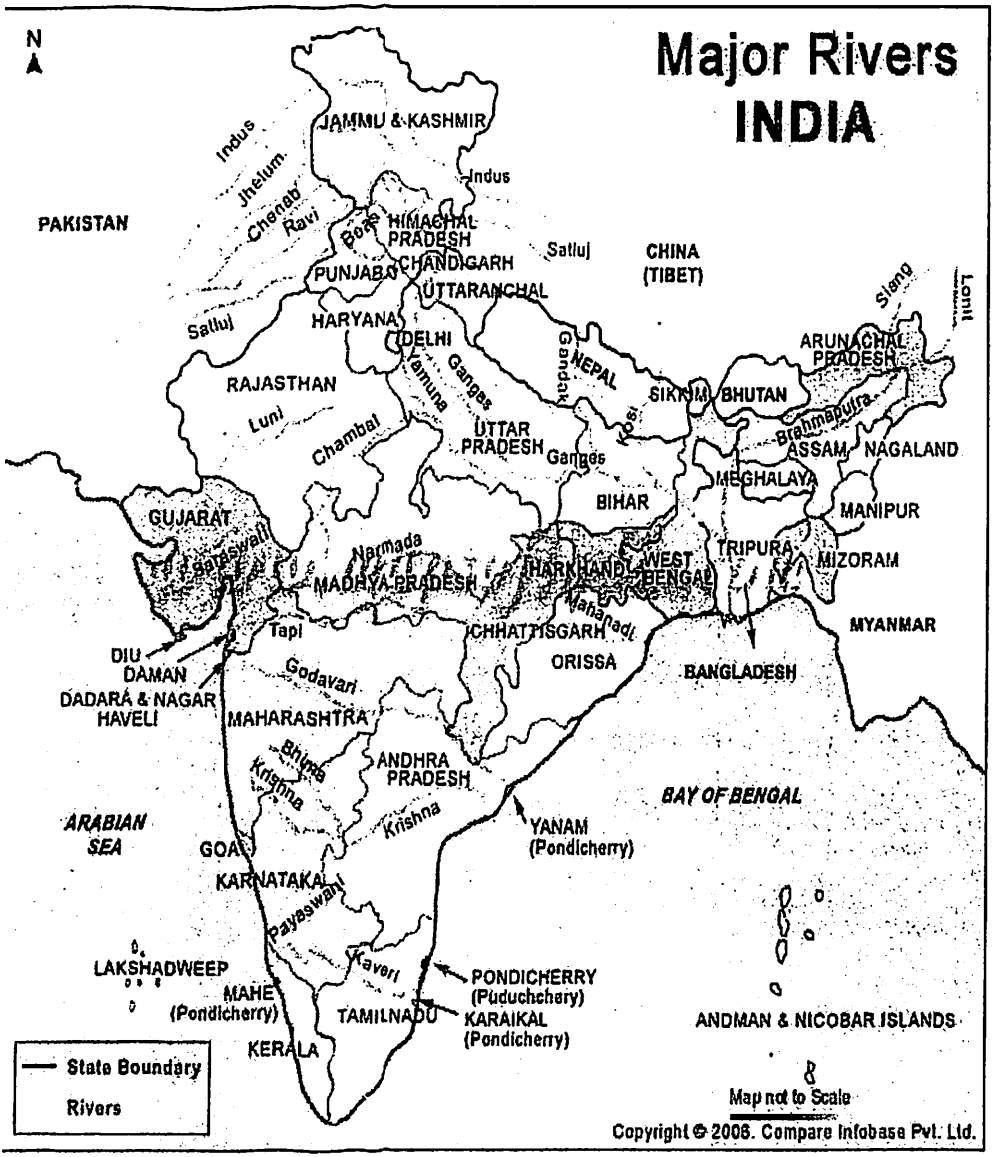

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।
नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरू ।।

Desigend & Printed by : Image media, 9811786500